हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

वार्षिक परिपत्र 2025-2026



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

प्रेषक		प्रेषित	
	सचिव		प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक
	हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड		हरियाणा राज्य के सभी राजकीय/मान्यता प्राप्त
	भिवानी ।		उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय।
क्रमांक	ं 129 / शैक्षिक / ए—2		दिनांकः 24.04.2025
विषय	: शैक्षिक सत्र 2025-26 में विद्य	लय प्रवे	श हेत पात्रता शर्ते बोर्ड कक्षाओं की पाठयचर्चा

विषयः शक्षिकं सत्र 2025–26 में विद्यालय प्रवेश हेतुं पात्रता शते, बोर्ड कक्षाओं की पाठ्यचच <u>परीक्षा प्रणाली एवं नवीनतम निर्णयों सम्बन्धी सूचना।</u>

महोदय,

हरियाणा सरकार के Memo No. 1/30-2005 SE (5) Dated Panchkula 03.06.2015 के अनुसार शैक्षिक सत्र 2016–17 से कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक सैमेस्टर प्रणाली समाप्त कर दी गई है। शैक्षिक सत्र 2025–26 में विद्यालयों द्वारा उपर्युक्त विषय में उल्लेखित एवं कुछ अन्य अधोलिखित बिन्दुओं पर जिन दिशा–निर्देशों का अनुसरण किया जाना है व जिन नवीनतम निर्णयों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी है, का विवरण निम्नानुसार है:–

(I) प्रवेश हेत् पात्रता शर्ते

- विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा अधिसूचित नियमों में विद्यमान व्यवस्था के दृष्टिगत नियमित विद्यार्थी के तौर पर कक्षा 10वीं में प्रवेश हेतु कक्षा नौवीं व इसी तरह कक्षा 12वीं में प्रवेश हेतु कक्षा 11वीं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- 2. सीनियर सैकेण्डरी के तीनों संकायों (मानविकी, वाणिज्य, विज्ञान) में प्रवेश हेतु इस बोर्ड से अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड की जिस परीक्षा को इस बोर्ड की सैकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष (शर्त/बिना शर्त) मान्यता है, से केवल अंग्रेजी विषय सहित सैकेण्डरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है अर्थात् वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों में प्रवेश हेतु अंकों की प्रतिशतता अथवा गणित/विज्ञान विषयों में किसी सीमा तक प्रतिशतता के होने जैसी शर्त अब समाप्त हो चुकी है।
- 3. हालांकि बोर्ड को सैकेण्डरी (नियमित/मुक्त विद्यालयी) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दसवीं का अंग्रेजी विषय उत्तीर्ण करना आवश्यक है, लेकिन यदि किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से सम्बन्धित कोई विद्यार्थी सैकेण्डरी के अंग्रेजी विषय में अनुत्तीर्ण है तो वह इस शर्त पर कक्षा 11वीं में अस्थाई प्रवेश का पात्र है कि वह प्रवेश लेने के बाद उसी शैक्षिक सत्र में बनते अवसरों में उक्त विषय उत्तीर्ण कर ले अन्यथा उसको कक्षा 11वीं में दिया गया प्रवेश व परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। अतः संस्था के मुखिया इस सम्बन्ध में विद्यार्थी से लिखित में वचन–पत्र (Undertaking) लेना सुनिश्चित करें।

(II) प्रवेश की तिथियां व अन्य जानकारियां

1. प्रवेश की तिथियां :-

कक्षा नौवीं में दाखिले की तिथियां						
सामान्य दाखिले	01-04-2025 से 30-04-2025 तक					
संस्था के मुखिया की अनुमति द्वारा बिना विलम्ब	01-05-2025 से 16-05-2025 तक					
शुल्क दाखिले	शुल्क दाखिले					
संस्था के मुखिया द्वारा संबंधित खण्ड शिक्षा 17–05–2025 से 31–05–2025 तक						
अधिकारी से अनुमति प्राप्त करते हुए बिना विलम्ब						
शुल्क दाखिले						
कक्षा ११वीं में दाखिले की तिथियां						

प्रोविजनल दाखिले	नया सत्र शुरू होने पर 01–04–2025 से
	01—04—2025 से
सामान्य दाखिले	बोर्ड के द्वारा घोषित परिणाम के
	10 दिनों के अन्दर
संस्था के मुखिया की अनुमति द्वारा बिना विलम्ब	अगले 10 विद्यालय दिवसों तक
शुल्क दाखिले।	
संस्था के मुखिया द्वारा संबंधित जिला शिक्षा	अगले 10 विद्यालय दिवसों तक
अधिकारी से अनुमति प्राप्त करते हुए बिना विलम्ब	
शुल्क दाखिले।	
इसके उपरान्त निदेशक, सैकेण्डरी शिक्ष	<mark>ा हरियाणा</mark> की अनुमति से

2. (क) <u>राजकीय विद्यालयों एवं अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों /</u> गुरूकुल / विद्यापीठ की सम्बद्धता हेतु अनुमानित तिथियां:—

सामान्य तिथियां बिना विलम्ब शुल्क सहित	
5000 / – रूपये विलम्ब शुल्क सहित	दिनांक 27.09.2025 से दिनांक 10.10.2025

(ख) विभिन्न कक्षाओं में नामांकन (Enrollment) प्राप्ति की अनुमानित तिथियां:-

सामान्य तिथियां बिना विलम्ब शुल्क सहित	
100/— रूपये विलम्ब शुल्क सहित	दिनांक 27.09.2025 से <mark>दिनांक 01.10.202</mark> 5
200/— रूपये विलम्ब शुल्क सहित	दिनांक 02.10.2025 से दिनांक 08.10.2025
300/- रूपये विलम्ब शुल्क सहित	दिनांक 09.10.2025 से दिनांक 15.10.2025
1000/- रूपये विलम्ब शुल्क सहित	दिनांक 16.10.2025 से दिनांक 22.10.2025
शुद्धि के लिए तिथियां	दि <mark>नांक 23.10.2025 से दिनांक 29.10.202</mark> 5

3. (क) सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) वार्षिक परीक्षा मार्च/अप्रैल–2026 की परीक्षा हेतु आवेदन की अनुमानित तिथियां:--

	शामिल होने वाले नियमित परीक्षार्थियां हेतु
आवेदन तिथियां	
बिना विलम्ब शुल्क के परीक्षा आवेदन की तिथियां	दिनांक 01.10.2025 से दिनांक 31.10.2025
विलम्ब शुल्क सहित	दिनांक 01.11.2025 से दिनांक 15.11.2025

सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी पूर्व विद्यालयी परीक्षार्थियों एवं ओपन स्कूल के छात्रों के आवेदन की प्राप्ति की तिथियां बिना विलम्ब शुल्क के परीक्षा आवेदन की दिनांक 01.10.2025 से दिनांक 31.10.2025 तिथियां विलम्ब शुल्क सहित दिनांक 01.11.2025 से दिनांक 15.11.2025

(ख) <u>बोर्ड द्वारा शैक्षिक सत्र 2025–2026 में आयोजित करवाई जाने वाली</u> <u>विभिन्न परीक्षाओं की अनुमानित तिथियांः–</u>

Tentative Date of Name of Examination				
Commencement				
02.07.2025	D.EL.Ed. Annual System Exam July-2025			
June-2025	Secondary Twice Annual Exam June-2025			
09.07.2025	Sr.Sec. Compartment Exam July-2025			
10.09.2025	Sec./Sr. Sec. (Open School) Exam September-2025			
Nov. 2025	HTET			
Nov. 2025	NTSE			
Dec. 2025	NMMS			
07.01.2026	D.EL.Ed. Re-appear Exam January-2026			
04.03.2026	Sec./Sr. Sec. (Academic/Open) Annual/Re-			
appear/Additional/Improvement Exam March-2026				

4. **प्रा**

यः देखने में आया है कि कई विद्यालय MIS Portal के अनुसार परीक्षार्थियों के विषयों का चयन नहीं करवाते। जिससे बोर्ड परीक्षा संचालन में कठिनाई आती है। इसलिए MIS Portal के अनुसार ही विषयों का चयन करवाएं।

- 5. कक्षा 11वीं व 12वीं में विद्यार्थियों को केवल उसी संकाय में से विषय लेने की अनुमति दी जाए (जो संकाय के समूह में विषय दिए गए/दर्शाए गए हैं) अर्थात् विज्ञान संकाय का विद्यार्थी कला व वाणिज्य, वाणिज्य संकाय का विद्यार्थी विज्ञान व कला तथा कला संकाय का विद्यार्थी विज्ञान व वाणिज्य संकाय के विषय लेने के लिए पात्र नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी अतिरिक्त विषय लेता है तो उस स्थिति में भी यही नियम लागू होगा।
- 6. क) कोई विद्यार्थी कक्षा 11वीं में उस शैक्षिक सत्र की 31 अक्तूबर या कार्यालय द्वारा निर्धारित की गई तिथि अनुसार अब विज्ञान से वाणिज्य अथवा कला संकाय तथा वाणिज्य से कला संकाय में परिवर्तन कर सकता है।

ख) कक्षा 12वीं में उसी शैक्षिक वर्ष <mark>के</mark> 30 अप्रैल तक विज्ञान से वाणिज्य/कला तथा वाणिज्य से कला संकाय में परिवर्तन करने के लिए संस्था मुखिया को प्राधिकृत किया गया है।

7. बोर्ड द्वारा प्रवर्जन (माइग्रेशन) हेतु बनाए गए नामांकन संबंधी नियमों के अनुसार प्रवर्जन (माइग्रेशन) की तिथि से 20 दिन के अन्दर प्रवेश लिया जाना अनिवार्य है। ऐसे मामलों में विद्यार्थी का पूर्व विद्यालय में एस.एल.सी. (S.L.C.) जारी करने की तिथि तक उस कक्षा में अध्ययनरत होना आवश्यक है। इस प्रकार यदि कोई छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरान्त आगामी कक्षा में प्रवेश लिए बिना ही एस.एल.सी. (S.L.C.) जारी करवाकर प्रवेश के लिए आता है और यदि यहां प्रवेश की निर्धारित तिथियां समाप्त हो चुकी हैं तो उस अवस्था में 20 दिन की आधार पर उसे प्रवेश नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार आगामी कक्षा में प्रवेश लेने उपरान्त विद्यार्थी का विद्यालय से नाम कटने की स्थिति में जारी किए गए एस.एल.सी. (S.L.C.) के मामलों में भी 20 दिन की अवधि मान्य नहीं होगी।

8. एक स्थानीय/बाह्य विद्यालय से विद्यालय त्याग प्रमाण—पत्र (एस.एल.सी.) जारी करवाकर दूसरे स्थानीय/बाह्य विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अथवा दूसरे राज्य से एस.एल.सी. जारी करवाकर हरियाणा राज्य में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश देते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि एस.एल.सी. जारी करने वाली शिक्षण संस्था उस शैक्षिक सत्र में शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त थी व एस.एल.सी. का सत्यापन एस.एल. सी. जारी करने वाली शिक्षण संस्था जारी करवाया जाए। एस.एल.सी. संबंधित जिला

शिक्षा अधिकारी अथवा अन्य राज्यों के मामलों में समकक्ष शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। ऐसे विद्यार्थियों का यदि नामांकन नहीं हुआ है तो नामांकन हेतु आवेदन करते समय एस.एल.सी. के सत्यापन के संबंध में सत्यापन करने वाली शिक्षण संस्था द्वारा जारी पत्र की प्रति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न की जाए व नामांकन का आवेदन करने वाली शिक्षण संस्था के मुखिया यह प्रमाण–पत्र भी देंगे कि उन द्वारा एस.एल.सी. का सत्यापन करवा लिया गया है और एस.एल.सी. सही है।

9. प्रायः देखा गया है कि अन्य राज्यों / विभिन्न बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में बिना समकक्षता की जानकारी के प्रवेश दे दिया जाता है। इस तरह के मामले जब नामांकन (Enrollment) के लिए बोर्ड कार्यालय में आते हैं तथा यदि उस विद्यार्थी द्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षा इस बोर्ड के समकक्ष मान्यता प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे में संबंधित विद्यार्थी को नामांकन (Enrollment) जारी नहीं होने पर उस द्वारा न्यायालय में केस दायर कर दिया जाता है और उसमें बोर्ड कार्यालय को भी पार्टी बनाया जाता है। इस प्रकार के मामलों में विद्यालय द्वारा गलती किए जाने के कारण बोर्ड के समय एवं धन की बर्बादी होती है।

अतः सभी संबंधित संस्था के मुखियाओं को ध्यान रहे कि अन्य राज्य/बोर्ड से कोई विद्यार्थी प्रवेश लेने के लिए आता है तो उसको प्रवेश देने से पहले बोर्ड कार्यालय से परीक्षा की समकक्षता के बारे में जानकारी प्राप्त करके ही उसे प्रवेश दें। (जिन बोर्ड/संस्थानों की परीक्षा को उच्च कक्षा में प्रवेश हेतु समकक्ष मान्यता दी गई है, उनकी सूची बोर्ड की वैबसाइट <u>www.bseh.org.in</u> पर उपलब्ध है।)

यदि कोई संस्था ऐसे मामलों में विनियमों की अनदेखी करके किसी अन्य राज्य/बोर्ड के विद्यार्थी को प्रवेश देती है और उसकी इस बोर्ड के समकक्ष मान्यता न होने के कारण सम्बन्धित विद्यार्थी का नामांकन (Enrollment) जारी नहीं होता है तो उससे उत्पन्न स्थिति के लिए पूरी तरह से वही संस्था (विद्यालय) जिम्मेदार होगी।

- 10. ऐसा भी देखा गया है कि कुछ विद्यार्थी इस बोर्ड / सी.बी.एस.ई., दिल्ली या अन्य बोर्ड से माध्यमिक परीक्षा (कक्षा 10वीं) उत्तीर्ण करते हैं और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा निर्धारित कक्षा 11वीं में प्रवेश की शर्ते पूरी नहीं करते, लेकिन वे सी.बी.एस.ई. या अन्य राज्य के बोर्ड से संबंधित विद्यालयों में कक्षा 11वीं में प्रवेश लेते हैं और तत्पश्चात कक्षा 12वीं में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से सम्बद्ध विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए आ जाते हैं। अतः कक्षा 12वीं में सीधे तौर पर प्रवेश के लिए भी पात्रता की वही शर्ते लागू होगी, जो कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए आवश्यक हैं। अतः कक्षा 12वीं में सीधे तौर पर प्रवेश के लिए भी पात्रता की वही शर्ते लागू होगी, जो कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए आवश्यक हैं। अतः कक्षा 12वीं में सीधे तौर पर प्रवेश के लिए भी पात्रता की वही शर्ते लागू होगी, जो कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए आवश्यक हैं। अतः कक्षा 12वीं में सीधे तौर पर प्रवेश के लिए भी पात्रता की वही शर्ते लागू होगी, जो कक्षा 11वीं को प्रवेश देते समय यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि वे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से सम्बद्ध विद्यालयों में सीधे तौर पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश देते समय यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि वे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से सम्बद्ध विद्यालयों में कक्षा 11वीं में प्रवेश की पात्रता शर्ते पूरी करते हैं या नहीं? यदि पात्रता शर्ते पूरी नहीं करते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश नी पात्रता शर्ते पूरी नहीं करते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश नी त्या ता हर्त पात्रता शर्ते परी है तो एसे विद्यार्थियों को प्रवेश नी पात्रता शर्ते परी हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश नी पात्रता शर्ते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश न हरी सात्र हर्त यहर्त हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश न विद्यार्थी को जे वेश नही
- 11. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की माध्यमिक परीक्षा में केवल एक या दो विषय (जो भी स्थिति हो) में एस.टी.सी./एस.वाई.सी. वाले फ्रैश विद्यार्थी अर्थात् जिन द्वारा पहली बार मुक्त विद्यालय की परीक्षा दी गई है, कक्षा 11वीं में अस्थाई प्रवेश के पात्र हैं। जिन विद्यार्थियों का परिणाम दो से अधिक विषयों में एस.टी.सी./एस.वाई.सी. (Subject to be clear/Subject yet cleared) घोषित हो, उन्हें कक्षा 11वीं में किसी भी स्थिति में प्रवेश न दिया जाए अर्थात् ऐसे विद्यार्थी प्रवेश के पात्र नहीं हैं। एक या दो विषय (जो भी स्थिति हो) में

एस.टी.सी./एस.वाई.सी. वाले फ्रैश विद्यार्थियों को संस्था द्वारा इस शर्त पर अस्थाई प्रवेश दिया जाए कि वे प्रवेश के बाद लगातार उसी शैक्षिक सत्र के बनते अवसरों में एस.टी.सी. /एस.वाई.सी. उत्तीर्ण कर लेंगे।

- 12. हरियाणा मुक्त विद्यालय की सैकेण्डरी परीक्षा में फ्रेश परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम यदि एक या दो विषय (जो भी स्थिति हो) में कम्पार्टमैंट घोषित है तो ऐसे छात्र कक्षा 11वीं में अस्थाई प्रवेश के पात्र हैं। बशर्ते कि वे प्रवेश लेने उपरान्त उसी शैक्षिक सत्र के बनते आगामी लगातार अवसरों में उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर लें अन्यथा उनका कक्षा 11वीं का प्रवेश/परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। शैक्षिक सत्र के बनते आगामी लगातार अवसरों में उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर लें अन्यथा उनका कक्षा 11वीं का प्रवेश/परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2021–22 से सी.टी.पी. (Credit Transfer Policy) के अन्तर्गत परीक्षा देने वाले जो परीक्षार्थी दो विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, वे कक्षा 11वीं में अस्थाई प्रवेश के पात्र होंगे बशर्ते कि उनके परीक्षा उत्तीर्ण करने के एक/दो/तीन (जो भी स्थिति हो) अवसर शेष हों। यदि किसी परीक्षार्थी का एक अवसर शेष है तो उसे एक अवसर में ही सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यदि दो हैं तो दो अवसर में ही सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
- 13. हरियाणा मुक्त विद्यालय एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कक्षा 10वीं/12वीं की परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के तौर पर विद्यालयों में प्रवेश के पात्र नहीं हैं, परन्तु यदि वे इन कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता की शर्त को पूर्ण करते हों अर्थात् उन द्वारा अधिकृत शिक्षण संस्था से कक्षा 9वीं/11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो व अन्य पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हों, तो उन्हें कक्षा 10वीं/12वीं में नियमित विद्यार्थी के तौर पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- 14. आयुक्त एवं महानिदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा के पत्र क्रमांक 5/160–2005 सै0शि0 दिनांक 27.02.2006 के अनुसार सी.बी.एस.ई. या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो विद्यार्थी कम्पार्टमैन्ट अर्जित करते हैं, उन्हें अस्थाई प्रवेश देते समय यह लिखित में नोट करवाया जाए कि कक्षा 11वीं में प्रवेश के बाद उन्हें कम्पार्टमैन्ट की परीक्षा उसी शैक्षिक सत्र के अन्दर बनते लगातार अवसरों में ही उत्तीर्ण करनी होगी अन्यथा उनका कक्षा 11वीं का परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा।
- 15. सी.बी.एस.ई. की विद्यालय स्तर की सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी भी इस बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों में कक्षा 11वीं में प्रवेश के पात्र हैं बशर्ते कि वे प्रवेश संबंधी अन्य पात्रता शर्ते पूरी करते हों। इसके लिए बोर्ड कार्यालय से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। संस्था के मुखिया प्रमाण–पत्र का अवलोकन करने उपरान्त ऐसे विद्यार्थी को अपने स्तर पर प्रवेश दे सकते हैं।
- 16. कक्षा 11वीं में कम्पार्टमैंट अर्जित करने वाले परीक्षार्थी भी कक्षा 12वीं में अस्थाई प्रवेश के पात्र हैं, परन्तु उनका अस्थाई प्रवेश तभी नियमित किया जाएगा जब कक्षा 11वीं के कम्पार्टमैंट विषय को संबंधित शिक्षण संस्थान से कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम से पूर्व उत्तीर्ण कर लें, अन्यथा उनका कक्षा 12वीं में दिया गया अस्थाई प्रवेश व परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा।
- 17. जिन विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षा का परिणाम किन्हीं कारणों से विलम्ब से घोषित होता है (शुल्क के मामले को छोड़कर) वे परिणाम घोषित होने के 20 दिन के अन्दर आगामी कक्षा में प्रवेश के पात्र हैं। इसी प्रकार जिन विद्यार्थियों ने अन्य राज्यों के बोर्ड/संस्थाओं से वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे भी परिणाम घोषित होने के 20 दिन के अन्दर–अन्दर प्रवेश ले सकते हैं। इस संबंध में अन्य औपचारिकताएं विद्यालय स्तर पर जाँची जानी हैं।

- 18. जो विद्यार्थी कक्षा 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो वे विभाग द्वारा दाखिलों के लिए निर्धारित तिथि तक विज्ञान से वाणिज्य अथवा कला संकाय तथा वाणिज्य से कला संकाय के अन्तर्गत प्रवेश ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त दाखिला लेने उपरान्त भी प्रवेश तिथि के 15 दिनों के अन्दर—अन्दर ऐसे विद्यार्थी उक्त अनुसार अपनी संकाय परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए विद्यालय/संस्था मुखिया सक्षम हैं।
- 19. बोर्ड द्वारा आधार नम्बर को विद्यार्थी के व्यक्तिगत डाटा में अनिवार्य रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अतः सभी विद्यालय उनके विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आधार नम्बर का रिकॉर्ड तैयार करें तथा परीक्षा आवेदन—पत्र भरते समय विद्यार्थी के आधार नम्बर के अन्तिम चार अक्षर भरे जाने हैं, ताकि उसे कार्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सके।
- 20. जो परीक्षार्थी अपनी उत्तरपुस्तिकाओं की पुनःजांच/पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद 20 दिन के अन्दर–अन्दर केवल ऑन–लाईन फार्म भरे जाएंगे। डाक द्वारा या दस्ती कोई भी फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। 20 दिन की अवधि में परिणाम घोषणा की तिथि शामिल नहीं है।
- 21. विद्यालय द्वारा ऑन लाईन आवेदन–पत्र भरते समय विद्यार्थियों के विवरण जन्म प्रमाण–पत्र के आधार पर न होकर भिन्न भरे जाते हैं। ऐसे मामलों में जन्म प्रमाण–पत्र एवं आधार नम्बर में दर्शाए विवरणों को आधार मानते हुए विद्यालय मुखिया/प्राचार्य अपने स्तर पर रिकार्ड/दाखिला खारिज रजिस्टर में शुद्धि करके स्वयं के हस्ताक्षर करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी या खण्ड शिक्षा अधिकारी से कटिंग को प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर रिकार्ड कार्यालय में प्रेषित करें, इसी रिकार्ड के आधार पर विद्यालय के अनुरोध पर घोष–पत्र में दर्शाये गए विवरणों में जैसे कि नाम, पिता व माता के नाम, जन्मतिथि एवं आधार नम्बर में शुद्धि कर दी जाएगी। बोर्ड कार्यालय स्तर पर त्रुटि होने की स्थिति में प्रमाण–पत्र मेजने की तिथि से तीन मास के अन्दर–अन्दर बोर्ड कार्यालय द्वारा निःशुल्क संशोधन किया जाता है। तीन मास के बाद से तीन वर्ष की अवधि तक बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क सहित संशोधन किया जाता है।
- 22. सैकेण्डरी कक्षा में उच्चारण अनुसार नाम एक होने पर नाम/पिता/माता के नाम वर्तनी (Spelling) में भिन्नता होने पर शुद्धि करने के लिए विद्यालय मुखिया ही सक्षम है, लेकिन उच्चारण अनुसार नाम वही रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर निम्न प्रकार के नाम ठीक किए जा सकते हैं जैसे :

I.	Pardip Kumar	to	Pardeep Kumar
II.	Harjit Kaur	to	Harjeet Kaur
III.	Om Parkash	to	Om Prakash
IV.	Din Dayal	to	Deen Dayal

उक्त उदाहरण अनुसार विद्यालय दाखिला खारिज रजिस्टर में जिनके नाम/पिता/माता के नामों के उच्चारण एक हो तथा वर्तनी (Spelling) में भिन्नता हो तो ऐसे केसों में विद्यालय मुखिया/प्राचार्य अपने स्तर पर विद्यालय रिकार्ड में शुद्धि करते हुए कार्यालय में रिकॉर्ड प्रस्तुत करें। कार्यालय द्वारा विद्यालय रिकार्ड के आधार पर घोष–पत्र के विवरणों में वांछित शुद्धि कर दी जाएगी।

23. कई बार देखा गया है कि बोर्ड द्वारा विद्यालयों को हिदायतें जारी की जाती हैं, लेकिन संस्थाओं द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता, इस कारण अनावश्यक रूप से कोर्ट केस

होते हैं और उसमें बोर्ड को भी संस्था की गलती के कारण पार्टी बनाया जाता है तो इस प्रकार के केसों की पैरवी के लिए बोर्ड पर जो अनावश्यक वित्तीय भार पड़ेगा, उस खर्च का वहन दोषी संस्था द्वारा किया जाएगा।

- 24. प्रत्येक परीक्षार्थी को वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। इसमें 15 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करने के लिए संस्था के मुखिया प्राधिकृत हैं। यदि संस्था के मुखिया द्वारा उपस्थिति में छूट देने पर भी निर्धारित 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं होती हैं तो 10 प्रतिशत तक उपस्थिति पूरी करने की छूट के लिए मामले संस्था द्वारा प्रासंगिक कारण एवं सिफारिश सहित बोर्ड कार्यालय में भेजने होंगे। स्वीकृति उपरान्त ही सम्बन्धित परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पात्र माने जाएंगे।
- 25. नामांकन (Enrollment) की अंतिम तिथि के बाद यदि कोई विद्यार्थी अन्य राज्य से प्रवर्जन होकर आता है तो उसे प्रवेश देने से पहले बोर्ड कार्यालय से स्वीकृति ली जाए क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि बहुत से विद्यालय प्रवर्जन करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दे देते हैं और बोर्ड कार्यालय को सूचित भी करना आवश्यक नहीं समझते और जब ऐसे विद्यार्थी का रोल नम्बर पहले वाले विद्यालय में चला जाता है, तब विद्यालय द्वारा केन्द्र परिवर्तन बारे अनुरोध किया जाता है। उस समय केन्द्र परिवर्तन के लिए आवेदन करने का समय भी नहीं रहता तथा उस अवस्था में कार्यालय को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि किसी विद्यालय द्वारा प्रवर्जन मामले में बोर्ड कार्यालय से पूर्व अनुमति नहीं ली गई और बाद में मामला बोर्ड के संज्ञान में आता है तो उसके लिए संबंधित विद्यालय जिम्मेदार होगा और उसके विरुद्ध मामला शिक्षा विभाग को भेज दिया जाएगा।
- 26. <mark>कक्षा 9वीं एवं 1</mark>1वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए सभी विषयों के प्रश्न-पत्र बोर्ड कार्यालय द्वारा भेजे जाएंगे।
- 27. जो परीक्षार्थी मार्च-2025 की परीक्षा में यू.एम.सी. के कारण एक वर्ष या मार्च-2024 की परीक्षा में दो वर्ष के लिए अयोग्य घोषित होंगे/हुए हैं, वे परीक्षार्थी शैक्षिक सत्र 2025-2026 में पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेकर मार्च-2026 में होने वाली वार्षिक परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। इसके लिए पुनः प्रवेश हेतु अलग से विद्यालय के लिए पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- 28. बोर्ड नियमानुसार आवेदन—पत्र प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम तिथियां (विलम्ब शुल्क सहित व बिना विलम्ब शुल्क) बढ़ाई नहीं जाएंगी। अतः आवेदन—पत्र का समय पर जमा करवाना विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- 29. जिन परीक्षार्थियों का वार्षिक (नियमित) परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण अथवा कम्पार्टमेंट घोषित हुआ है। ऐसे परीक्षार्थी जब उन विषयों की पूरक/वार्षिक परीक्षा दोबारा देंगे तो उस स्थिति में उनके आन्तरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक के अंक पहले वाले ही माने जाएंगे।
- 30. जिन नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम कम्पार्टमैंट घोषित हुआ है और वे कम्पार्टमैंट की परीक्षा देते हैं तो ऐसे परीक्षार्थियों के INA (Internal Assessment) के पुराने अंक ही प्रमाण–पत्र में दर्शाए जाएंगे। ऐसे में उनके INA (Internal Assessment) के अंक दोबारा नहीं मंगवाए जाएंगे।
- 31. सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी कक्षाओं में INA (Internal Assessment) के अंकों को शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रोफार्मा तैयार करके समुचित रिकार्ड कम से

कम एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना है ताकि बोर्ड / शिक्षा विभाग की समितियों द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान रिकार्ड की जाँच की जा सके।

- 32. सीनियर सैकेण्डरी कक्षा के प्रायोगिक विषयों में कम्पार्टमैंट अर्जित करने वाले विद्यालयी विद्यार्थियों को उस विषय के उसी भाग जिसमें वे अनुत्तीर्ण हैं, उसी की परीक्षा देनी होगी अर्थात् यदि कोई लिखित परीक्षा में पास है, लेकिन प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है तो उसे केवल प्रायोगिक परीक्षा ही देनी होगी तथा लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वालों को केवल लिखित परीक्षा ही देनी होगी।
- 33. प्रत्येक वर्ष सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी (संकायवार) कक्षा के परीक्षा परिणाम में इस बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों में से प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को गोल्ड प्लेटिड, सिल्वर मैडल व 51000/- रुपये (इक्यावन हजार रुपये) तथा द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता को सिल्वर मैडल व 31000/- रुपये (इक्कतीस हजार रुपये) देने का निर्णय लिया गया है। इन कक्षाओं के पूरे प्रदेश में लड़कियों में प्रथम आने वाली छात्रा को डॉ0 कल्पना चावला अवार्ड व 51000/- रुपये (इक्यावन हजार रुपये) दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त केवल सरकारी विद्यालयों में से सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी (संकायवार) प्रथम व द्वितीय आने वाले छात्र/छात्राओं को भी उपर्युक्त अनुसार ही पुरस्कार दिया जाएगा।
- 34. पुनःजांच शुल्क 250/- रुपये (दो सौ पचास रुपये) प्रति उत्तरपुस्तिका निर्धारित है।
- 35. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/ओपन)/डी.एल.एड. की परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन तथा शुल्क परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन के अन्दर-अन्दर केवल ऑनलाईन प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। किसी विषय में 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थी भी अब उस विषय की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकते है। पुनर्मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा में ही करवाया जा सकता है। परीक्षार्थी द्वारा एक या एक से अधिक विषयों हेतु एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा।
- 36. पुनर्मूल्यांकन शुल्क 1000/- रुपये प्रति उत्तरपुस्तिका/विषय है। बी.पी.एल. (B.P.L.) परीक्षार्थी के लिए पुनर्मूल्यांकन का 800/- रुपये प्रति उत्तरपुस्तिका/विषय है तथा ऑनलाइन आवेदन के साथ बी.पी.एल. (B.P.L.) कार्ड की एक प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। पुनर्मूल्यांकन हेतु जमा शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन उपरान्त यदि किसी परीक्षार्थी के किसी विषय में 15% से अधिक अंक बढते हैं तो नियमानुसार 1000/- रूपये में से 600/- रूपये व 800/- रूपयें में से 480/- रूपये सम्बन्धित परीक्षार्थी के बैंक खाते में जमा किए जाएंगें।
- 37. उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन उपरान्त परीक्षार्थियों के अन्तिम परिणाम की सूचना बोर्ड की वैबसाईट <u>www. bseh.org.in</u> पर अपलोड की जाती है। यदि किसी परीक्षार्थी का किसी विषय में एक अंक भी बढ़ेगा तो वह अंक भी उसके कुल अंकों में जोड़ा जाएगा। इसी तरह यदि पुनर्मूल्यांकन में किसी विषय में अंक कम होंगे तो उसके पूर्व में अर्जित किए गए अंक मान्य होंगे। परीक्षार्थी को पुनर्मूल्यांकन की सुविधा केवल उत्तरपुस्तिका उपलब्ध होने की स्थिति में ही दी जाएगी।
- 38. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम घोषित होने के 60 दिन के अन्दर-अन्दर 500/- रुपये (पांच सौ रुपये) प्रति उत्तरपुस्तिका व Under Taking का फार्म भरकर अपनी उत्तरपुस्तिका की फोटो प्रति ले सकता है।

- 39. सैकेण्डरी के प्रमाण—पत्रों में उन्हीं 05 (पांच) विषयों का योग दर्शाया जाएगा, जिनमें छात्र के सर्वाधिक अंक हैं।
- 40. शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित कुछ विद्यालयों में NSQF के जिन विषयों का अध्यापन करवाने की अनुमति दी गई है, जिनका विवरण पाठ्य योजना में दर्शाया गया है। इसलिए जिन विद्यालयों में इन विषयों को पढ़ाने की अनुमति है, वे विद्यालय ही विद्यार्थियों को ये विषय लेने की स्वीकृति दें, अन्य विद्यालय नहीं। इन विषयों की लिखित परीक्षा का प्रश्न–पत्र 60 अंकों का होगा। छात्र के प्राप्तांकों को 30 अंकों के आधार पर आनुपातिक रूप से परिवर्तित करके दर्शाया जाएगा।
- 41. बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को इस बात से भी अवगत करवायें कि परीक्षा भवन में परीक्षा के दौरान विद्यालय की निर्धारित पोशाक में ही आएं।

(III) हरियाणा मुक्त विद्यालय संबंधी सूचना

- शैक्षिक प्रणाली में अनुत्तीर्ण (Essential Repeat) होने उपरान्त यदि कोई परीक्षार्थी पुनः परीक्षा देना चाहता है तो उसे उसी कक्षा में प्रवेश लेना होगा या ऐसे परीक्षार्थी हरियाणा मुक्त विद्यालय की C.T.P. (Credit Transfer Policy) प्रणाली के अन्तर्गत सितम्बर/मार्च में होने वाली आगामी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते है, जिसके लिए उन्हें शैक्षिक प्रणाली में कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा पिछले पांच वर्ष तक अनुत्तीर्ण रहने वाले परीक्षार्थी C.T.P. (Credit Transfer Policy) प्रणाली के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- 2. वर्ष/सत्र मार्च-2021 से पहले शैक्षिक प्रणाली के अन्तर्गत अनुत्तीर्ण (Not Qualified) होने वाले परीक्षार्थी अगर हरियाणा मुक्त विद्यालय की C.T.P. (Credit Transfer Policy) प्रणाली के अन्तर्गत आवेदन करना चाहते हैं और वे PHY, CHE व BIO विषयों के लिखित/प्रायोगिक किसी भी भाग में फेल हैं, ऐसे परीक्षार्थियों को रि-अपीयर विषय की लिखित व प्रायोगिक दोनों परीक्षा 70/30 अंकों के अनुसार पुनः परीक्षा देनी अनिवार्य होगी।
- 3. कोई भी छात्र जिसके द्वारा इस बोर्ड से या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है, वह हरियाणा मुक्त विद्यालय, भिवानी से अतिरिक्त विषय के रूप में परीक्षा दे सकता है, जो विषय उस द्वारा मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण न किए गए हों।
- 4. अन्य बोर्ड से अनुत्तीर्ण / कम्पार्टमैन्ट प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी भी पिछले पांच वर्ष तक हरियाणा मुक्त विद्यालय की OCTP (Other Credit Transfer Policy) प्रणाली के अन्तर्गत सैकेण्डरी / सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा सितम्बर-2024 से आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए सितम्बर-2024 में होने वाली परीक्षा से NIOS (National Institute of Open Schooling) की TOC (Trasfer of Credit) प्रणाली अनुसार अधिकतम 2 पास विषयों की हरियाणा मुक्त विद्यालय की Scheme of Study में आने वाले विषयों का ही लाभ देने का निर्णय लिया गया है।

(IV) अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां

- बोर्ड कार्यालय द्वारा अवॉर्ड देने के लिए मैरिट की गणना अंकों के आधार पर निकाली जाती है।
- 2. यदि कोई विद्यार्थी सैकेण्डरी में हिंदी विषय में अनुत्तीर्ण, लेकिन छठे विषय संस्कृत में उत्तीर्ण है तो उसे हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक नहीं है। ऐसे छात्रों को

सैकेण्डरी में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है और उन्हें कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए हिंदी विषय उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।

- 3. कुछ विद्यालयी विद्यार्थियों को INA (Internal Assessment) में अनुपस्थित/शून्य अंक दर्शाते हुए अवार्ड सूची भेजते हैं। जबकि INA (Internal Assessment) में किसी भी विद्यार्थी को अनुपस्थित/शून्य नहीं दर्शाया जा सकता क्योंकि वह आन्तरिक मूल्यांकन है, जो पूरे वर्ष चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए जो विद्यार्थी विद्यालय में पूरे शैक्षिक सत्र में उपस्थित होता है, उसे किसी भी हालत में अनुपस्थित नहीं दर्शाया जाना चाहिए। इस कार्यालय द्वारा INA (Internal Assessment) के संदर्भ में जो निर्देश पहले भेजे हुए हैं, उनके अनुसार विद्यार्थियों को अंक दिए जाने हैं। यदि किसी विद्यालय द्वारा उनकी उल्लंघना की जाती है तो इसे गम्भीरता से लिया जाएगा।
- 4. INA (Internal Assessment) प्रणाली के अन्तर्गत खेलों व अन्य क्रियाकलाप के लिए दिए जाने वाले ग्रेड का विवरण इस प्रकार है :

Sr. No.	Co-curricular Activities	Grade for	Grade for
	Level	Participation	Position holder
1.	School	D	С
2.	Block	С	В
3.	District	В	A
4.	State	A	A+
5.	National	A+	A++

- 5. अब जो विद्यालयी परीक्षार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के एक वर्ष की अवधि में वह परीक्षा स्वयंपाठी परीक्षार्थी के तौर पर दे सकेंगे। इस प्रकार सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) मार्च–2025 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी मार्च–2026 में स्वयंपाठी तौर पर परीक्षा में बैठ सकते हैं। आगे भविष्य में भी इसी अनुसार परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के एक वर्ष के अन्दर वार्षिक परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। उसके बाद उन्हें शैक्षिक प्रणाली से और अवसर नहीं दिया जाएगा।
- आगामी जुलाई–2025 में आयोजित की जाने वाली एक दिवसीय परीक्षा में केवल सीनियर सैकेण्डरी की कम्पार्टमैंट की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- 7. वर्तमान में परीक्षार्थियों को कम्पार्टमैंट की परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु तीन अवसर दिये जाते हैं। इससे परीक्षार्थी को उसी शैक्षिक सत्र में तीन अवसर प्राप्त हो सकेंगें जिससे सैकण्डरी कक्षा की कम्पार्टमैन्ट की परीक्षा तीन अवसर में भी उतीर्ण करने पर कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश का पात्र हो सकेगा।
- 8. आंशिक अंक सुधार में पूर्व की मांति एक विषय को छोड़कर चार विषयों तक परीक्षार्थी प्रविष्ट हो सकेगा। जिसकी परीक्षा सितम्बर/अक्टूबर माह में आयोजित की जायेगी। जो परीक्षार्थी सितम्बर माह में कम्पार्टमैंट की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा वह आगामी वार्षिक परीक्षा में आंशिक अंक सुधार/पूर्ण विषय अंक सुधार में से कोई एक परीक्षा दे सकता है।
- सितम्बर माह में कम्पार्टमैंट/आंशिक अंक सुधार/पूर्ण विषय अंक सुधार/अतिरिक्त विषयों की परीक्षा बनती पात्रता के आधार पर आयोजित की जायेगी।
- 10. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरान्त परीक्षार्थी तुरन्त आगामी अवसर में आंशिक अंक सुधार की परीक्षा व एक वर्ष के अन्दर—अन्दर पूर्ण विषय की अंक सुधार की परीक्षा देने के पात्र होंगे।

11. यदि किसी परीक्षार्थी का परिणाम पूरक परीक्षा (सितम्बर परीक्षा) से पुनः जांच/पुनर्मल्यांकन के कारण परीक्षा आरम्भ होने से 15 दिन पूर्व तक घोषित होता है तो उसे पूरक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में विशेष अवसर दिया जा सकता है।

<u>(V) माइग्रे शन (प्रवर्जन)</u>

- 1. एस.एल.सी. (S.L.C.) जारी करने वाली संस्था एस.एल.सी. (S.L.C.) पर सम्बन्धित विद्यार्थी की उपस्थिति, INA (Internal Assessment) तथा नामांकन इत्यादि का सम्पूर्ण विवरण प्रवेश देने वाली संस्था को उपलब्ध करवाएगी।
- 2. कक्षा 9वीं एवं 11वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यदि किन्हीं कारणों से विद्यालय परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए बोर्ड से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और यदि दोनों संस्थाओं के मुखिया आपस में सहमत हैं तो माइग्रेशन किया जा सकता है।

<u>(VI) सामान्य</u>

- बोर्ड कार्यालय को गत वर्ष में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ निजी विद्यालयों द्वारा कुछ विद्यार्थियों को केवल परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से प्रविष्ट किया हुआ था। ऐसा किया जाना नियमों के विरुद्ध था, इसलिए ऐसे अपात्र परीक्षार्थियों के परीक्षाफल बोर्ड द्वारा घोषित नहीं किए गए और जांच उपरान्त ऐसे विद्यालयों की मान्यता व सम्बद्धता रद्द करने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अतः सभी विद्यालयों के मुखिया सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालय में ऐसी अनियमितताएं किसी भी स्तर पर न पाई जाएं अन्यथा बोर्ड द्वारा ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही की जाएगी और ऐसी अनियमितताओं में संलिप्त विद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- 2. नियमित विद्यार्थियों के संदर्भ में केवल उस संस्थान से ही पत्र व्यवहार किया जाएगा, जिसमें वे अध्ययन करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों से बोर्ड का कोई सीधा पत्र व्यवहार नहीं होगा। अतः उक्त विद्यार्थियों की किसी भी त्रुटि की सूचना के लिए संबंधित संस्थान जिम्मेदार होगा।
- 3. बोर्ड कार्यालय को ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि कुछ विद्यालय अपना दाखिला एवं खारिज रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, पेस्ट फाइल, शुल्क संबंधी रिकॉर्ड इत्यादि नियमित रूप से तैयार नहीं करते। सभी संस्थाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि उनका वांछित रिकॉर्ड नियमानुसार तैयार हो और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के आवेदन–पत्र प्रति–हस्ताक्षरित करते समय संबंधित विद्यालय का रिकॉर्ड देखा जाएगा।
- 4. शिक्षा बोर्ड से संबंधित किसी भी कार्य हेतु आपके सुझाव आमंत्रित हैं। यदि गोपनीय रूप से कोई शिकायत बोर्ड कार्यालय में दी जाती है तो शिकायतकर्ता अपने पूरे नाम व पते के साथ शिकायत में दिए जा रहे तथ्यों की पुष्टि हेतु एक शपथ–पत्र भी संलग्न करेंगे।
- 5. जैसा प्रवेश पात्रता की शर्तों में उल्लेख किया गया है कि कक्षा 10वीं में प्रवेश हेतु विद्यार्थी द्वारा कक्षा 9वीं व 12वीं हेतु कक्षा 11वीं उत्तीर्ण की हुई हो, इस संबंध में अतीत में बोर्ड के संज्ञान में आई अनियमितताओं के दृष्टिगत सभी विद्यालयों के मुखिया प्रवेश की अनुमति देते समय यह सुनिश्चित करें कि प्रवेश हेतु पिछली कक्षा को उत्तीर्ण करने के प्रमाण स्वरूप जो दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहे हैं, वह/वे प्रमाण–पत्र/विद्यालय त्याग–पत्र वास्तव में उस शैक्षिक सत्र में मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा जारी किया गया है और उसका सत्यापन आदि भी नियमानुसार करवाना सुनिश्चित किया जाए।

जो परीक्षार्थी सीधे तौर पर कक्षा 10वीं/12वीं की मुक्त विद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हैं, ऐसे परीक्षार्थियों द्वारा यदि कक्षा 9वीं/11वीं परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है तो उनको नियमित विद्यार्थी के तौर पर विद्यालय में प्रवेश न दिया जाए।

6. विद्यालयों द्वारा परीक्षा हेतु ऑनलाईन पंजीकरण के समय विकल्प में दिए गए विषयों/विषय कोड को ध्यानपूर्वक न भरने से अनावश्यक रूप से विषय शुद्धि हेतु आवेदन प्राप्त होते हैं, जिससे परीक्षार्थियों व अभिभावकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

अतः विद्यालयों के मुखियाओं को पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि भविष्य में अपने विद्यालय से संबंधित विद्यार्थियों के विषयों के कोड नम्बर निर्धारित कॉलम में ध्यानपूर्वक ठीक भरकर भेजें ताकि विद्यार्थियों के विषय गलत न हों। ध्यान रहे कि निर्धारित तिथि के बाद आवेदन–पत्र में किसी भी प्रकार की शुद्धि/परिवर्तन विषय शुद्धि (सहित) अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

- गत वर्षों में देखने में आया है कि विद्यालयों द्वारा सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी के 7. परीक्षार्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय एक ही परीक्षार्थी का फोटो / हस्ताक्षर अलग–अलग परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों पर अपलोड कर दिए जाते हैं या फोटो / हस्ताक्षर दिए गए फॉर्मेट के अनुसार नहीं होते हैं तथा परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् विद्यालयों द्वारा शुद्धि हेतुं प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं। बोर्ड बैठक दिनांक 17.09.2020 की मद संख्या–12 में निर्णय लिया जा चुका है कि परीक्षा होने उपरान्त किसी भी परीक्षार्थी के फोटो व हस्ताक्षर में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अतः सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों के मुखिया यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाईन आवेदन फार्म भरते समय उन द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर सम्बन्धित परीक्षार्थी के ही अपलोड किए गए हों एवं दिए गए फॉर्मेट अनुसार ही परीक्षार्थियों के फोटो व हस्ताक्षर अपलोड़ किए गए हैं। यदि किसी अपरिहार्य स्थिति में ऐसा हो जाता है तो उस अवस्था में बोर्ड कार्यालय द्वारा लगभग एक सप्ताह का समय परीक्षार्थियों के विवरणों को चैक करने के लिए विद्यालय लॉग-ईन आई0डी0 पर उनके विद्यालय की चैक लिस्ट अपलोड की जाती है, उस समय हर अवस्था में ठीक करना सुनिश्चित कर लें। परीक्षार्थी के फोटो व हस्ताक्षर ठीक नहीं करने की अवस्था में पूर्णतः जिम्मेवारी विद्यालय मुखिया की होगी।
- 8. बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तकों का ही विद्यालयों में अध्ययन करवाएं तथा विद्यार्थियों को किसी निजी प्रकाशक की कोई भी पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए अन्यथा संस्था व उसके मुखिया/संबंधित अध्यापक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- 9. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जो परीक्षार्थी कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा के अधीन संचालित आई.टी.आई. के माध्यम से आठवीं कक्षा के आधार पर दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्सिज या एक वर्षीय डिप्लोमा के साथ—साथ एक वर्ष की प्रशिक्षुता (Apprenticeship) परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरांत परीक्षार्थी इस बोर्ड से सैकेण्डरी कक्षा की हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा (दोनों विषयों सहित) अतिरिक्त विषय के रूप में उत्तीर्ण कर लेते हैं तो वे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा संचालित 10वीं (सैकेण्डरी) परीक्षा के समकक्ष माने जायेगें। ऐसे परीक्षार्थियों को प्रदेश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 10+1 में कला संकाय में प्रवेश दिया जा सकता है।

इसी प्रकार 10वीं (सैकेण्डरी) परीक्षा के आधार पर दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्सिज या एक वर्षीय डिप्लोमा के साथ–साथ एक वर्ष की प्रशिक्षुता (Apprenticeship) परीक्षा उत्तीर्ण

करने उपरांत परीक्षार्थी इस बोर्ड से सीनियर सैकेण्डरी कक्षा की हिन्दी या अंग्रेजी भाषा की परीक्षा अतिरिक्त विषय के रूप में उत्तीर्ण कर लेते हैं तो वे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा संचालित 12वीं (कला संकाय) परीक्षा के समकक्ष माने जायेंगे।

- 10. अतिरिक्त विषय/विषयों के लिए ऑन लाईन आवेदन करने उपरांत परीक्षार्थियों को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी व डिप्लोमा की सत्यापित छाया प्रति बोर्ड कार्यालय में जमा करवानी अनिवार्य है।
- 11. आई.टी.आई. डिप्लोमा कोर्सिज एवं अतिरिक्त विषय उत्तीर्ण करने उपरांत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी की सैकेण्डरी परीक्षा व सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष होने बारे जानकारी बोर्ड की समकक्षता सूची में उपलब्ध है।
- 12. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा किसी भी परीक्षा को समकक्ष मान्यता केवल उच्च कक्षा में प्रवेश के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। समकक्षता सूची बोर्ड की वैबसाइट www.bseh.org.in_पर उपलब्ध है।
- 13. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षाओं हेतु CwSN श्रेणी वाले दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकता के दृष्टिगत बोर्ड परीक्षाओं के पाठ्ययोजना में दृष्टिहीन विद्यार्थियों को संगीत विषय को छोड़कर अन्य विषयों जैसे—ड्राईंग, गणित में ज्योमैट्री, विज्ञान विषयों में प्रायोगिक परीक्षा से छूट दी जाती है।
- 14. मूक व वाणी बाधित, डिसलेक्सिया व स्पाष्टिक रोग से पीड़ित बच्चों को सैकेण्डरी स्तर पर अनिवार्य दो भाषाओं में से एक भाषा की छूट प्रदान की जाती हैं।
- 15. दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन परीक्षार्थियों को पाठ्यक्रम में विशेष छूट बारे प्रावधान करते हुए 10वीं कक्षा की गणित व विज्ञान विषयों में अलग से प्रश्न–पत्र तैयार करवाये जाते हैं व अन्य विषयों में रेखाचित्र (Diagram), चित्र, ग्राफ की आवश्यकता वाले प्रश्न के विकल्प में दूसरा प्रश्न दिए जाने की सुविधा दी जाती है।
- 16. दृष्टिबाधित परीक्षार्थी के परीक्षा पंजीकरण के समय मांग करने पर ब्रेल लिपि में प्रश्न दिया जा सकता है और कम्प्यूटर, बड़े अक्षरों में प्रश्न–पत्र की व्यवस्था की जा सकती है।
- 17. दिव्यांग परीक्षार्थियों हेतु जिला हिसार, करनाल और गुरूग्राम में स्थित तीन विशेष विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए उन्हीं के विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, अन्य परीक्षा केन्द्र ऊपरी मंजिल पर होने पर असमर्थ दिव्यांग परीक्षार्थियों को भूत्तल पर बैठाने की अलग से व्यवस्था की जाती है।
- 18. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षाओं के समय CwSN (दृष्टिबाधित, डिसलेक्सिक व स्पाष्टिक व अपने हाथ से लिखने में असमर्थ) वाले ऐसे दिव्यांग परीक्षार्थी जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हैं, उन परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा के समय निःशुल्क लेखक की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे बच्चों को लेखक की सुविधा के साथ—साथ परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाता है।
- 19. इसके अतिरिक्त विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत CwSN के आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए इन विद्यालयों के सभी प्रकार के शुल्क जैसे— परीक्षा पंजीकरण, सम्बद्धता, केन्द्र स्थापना आदि में छूट प्रदान की गई है
- 20. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में शामिल होने वाले नियमित दिव्यांग परीक्षार्थियों के अनुरोध करने पर संबंधित विद्यालय के मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा दिव्यांगता प्रमाण–पत्र/UDID कार्ड की जाँच करते हुए परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा।

- 21. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में शामिल होने वाले दिव्यांग परीक्षार्थियों के अनुरोध करने पर किसी भी विद्यालय के मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा दिव्यांगता प्रमाण–पत्र/ UDID कार्ड की जाँच करते हुए अन्य विद्यालय में अध्ययनरत नियमित परीक्षार्थी/स्वयंपाठी (Private) दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा।
- 22. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में शामिल होने वाले नियमित/स्वयंपाठी (Private) दिव्यांग परीक्षार्थियों के अनुरोध करने पर परीक्षा केन्द्र के मुख्य केन्द्र अधीक्षक/केन्द्र अधीक्षक द्वारा दिव्यांगता प्रमाण–पत्र/UDID कार्ड की जाँच करते हुए नियमित/स्वयंपाठी (Private) दिव्यांग परीक्षार्थी को परीक्षा आरम्भ होने से एक घण्टा पूर्व लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा।
- 23. परीक्षा समाप्ति उपरांत मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य/मुख्य केन्द्र अधीक्षक/केन्द्र अधीक्षक द्वारा जिन दस्तावेजों के आधार पर लेखक की सुविधा दी है, की प्रति ई.मेल./पंजीकृत डाक के माध्यम से बोर्ड कार्यालय की संबंधित परीक्षा शाखाओं को भेजी जानी है।
- 24. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी कक्षा में अध्ययनरत ऐसे नियमित विद्यार्थी जो दिव्यांग हैं, उनके लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या द्वारा अपने स्तर पर लेखकों का एक समूह (N.S.S. वाले विद्यार्थी/इच्छुक विद्यार्थी या अन्य कोई विद्यार्थी) बनाते हुए संबंधित को लेखक उपलब्ध करवाया करवाया जाना है।
- 25. सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा में शामिल होने वाले ऐसे दिव्यांग स्वयंपाठी (Private) परीक्षार्थी जो लेखक की सुविधा लेना चाहते हैं तो उस स्थिति में दिव्यांग स्वयंपाठी (Private) परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु जो परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाता है, उस परीक्षा केन्द्र के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/मुख्य केन्द्र अधीक्षक द्वारा अपने स्तर पर बिन्दु संख्या–24 के दृष्टिगत जो लेखकों (N.S.S. वाले छात्र/इच्छुक छात्र या अन्य कोई छात्र) का समूह बनाया गया है, में से स्वयंपाठी (Private) दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक उपलब्ध करवाया जाना है।
- 26. Special Schools में अध्ययनरत ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी जो सैकेण्डरी/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा हेतु लेखक की सुविधा लेना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने अधीन आने वाले किसी भी विद्यालय में से लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिसा अधिकारी द्वारा जिसा विद्यालय में से लेखक उपलब्ध करवाने की स्वीकृति दी जाती है, उस विद्यालय द्वारा ऐसे विद्यार्थी के दिव्यांगता की पात्रता की जांच करते हुए लेखक उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जानी है।
- 27. जिन परीक्षार्थियों का पूर्व में ही इस बोर्ड से कक्षा 9वीं में नामांकन (Enrollment) हो चुका है व उन परीक्षार्थियों द्वारा 10वीं की परीक्षा इस बोर्ड से नियमित परीक्षार्थी के तौर पर ना देकर हरियाणा मुक्त विद्यालय से उत्तीर्ण की है, ऐसे परीक्षार्थियों को कक्षा 11वीं में पुनः नामांकन (Enrollment) करवाने की आवश्यकता नहीं है।
- 28. जिन परीक्षार्थियों का पूर्व में ही इस बोर्ड से कक्षा 9वीं में नामांकन (Enrollment) हो चुका है व उन परीक्षार्थियों द्वारा 10वीं की परीक्षा इस बोर्ड से नियमित/मुक्त परीक्षार्थी के तौर पर ना देकर अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्डों से उत्तीर्ण की है, ऐसे परीक्षार्थियों के प्रमाण–पत्र की विद्यालय द्वारा जांच करते हुए बोर्ड कार्यालय को भेजे जाने हैं तदुपरांत पूर्व में जारी किए गए नामांकन (Enrollment) में उक्त सूचना अपडेट करवाई जानी है। इस स्थिति में परीक्षार्थी को पुनः नामांकन (Enrollment) करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

- 29. कक्षा 9वीं एवं 10वीं तथा 11वीं एवं 12वीं की पढ़ाई Integrated Course होने के कारण किसी भी विद्यार्थी को कक्षा 10वीं एवं 12वीं में केवल वैध कारण (Shifting because of transfer of parent(s)/ Shifting of family/ Shifting to Hostel/ Shifting from Hostel/ Re-admission due to (not qualified/not appeared in Exams/Compartment)/ Better Education/ Long Distance/Medical Ground) होने पर ही विद्यालय परिवर्तन करते हुए प्रवेश दिया जाना है।
- 30. यदि कोई विद्यार्थी वैध कारणों से कक्षा 10वीं एवं 12वीं में विद्यालय परिवर्तन करता है तो उस स्थिति में दाखिला लेने के एक महीने के अन्दर–अन्दर विद्यालय के मुखिया द्वारा बोर्ड द्वारा निर्धारित आवश्यक/जरूरी दस्तावेज (प्रमाण–पत्र/रिपोर्ट कार्ड, एस.एल.सी., माता–पिता द्वारा नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र) बोर्ड कार्यालय को भेजे जाने अनिवार्य हैं। ऐसे विद्यार्थियों का डाटा तैयार करते हुए बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाए गए ऑन–लाईन लिंक के माध्यम से भेजे जाने है।
- 31. सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा—2025 के समाप्त होने पर परीक्षा परिणाम का इन्तजार न करके सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में अर्थात् 11वीं में अस्थाई प्रवेश दिया जाए ताकि सभी विद्यालयों द्वारा सत्र के प्रारम्भ से ही कक्षा 11वीं की पढ़ाई सुचार रूप से आरम्भ करवाई जा सके। इस उपरांत जो विद्यार्थी सैकेण्डरी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों का दाखिला रद्द कर दिया जाए व अन्य पात्र विद्यार्थियों का प्रवेश स्थाई कर दिया जाए।
- 32. प्रत्येक विद्यालय द्वारा किसी भी विद्यार्थी के कक्षा 9वीं में नामांकन (Enrollment) के लिए कक्षा 8वीं का डाटा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार भेजा जाना है।
- 33. किसी भी अन्य समकक्ष बोर्ड, अन्य राज्यों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जो इस बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त निजी विद्यालय या राजकीय विद्यालय में कक्षा 7वीं या 8वीं में दाखिला लेते हैं, उनकी सूचना भी विद्यालयों द्वारा बोर्ड कार्यालय को भेजी जानी है।
- 34. इसके अतिरिक्त यह बात भी देखने में आई है कि नियमित विद्यार्थियों के संबंध में बोर्ड कार्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य हेतु विद्यालय द्वारा School Letter Pad पर विषय अंकित करते हुए संबंधित विद्यार्थी के माता–पिता या विद्यार्थी को बोर्ड कार्यालय में भेज दिया जाता है, ऐसा करना नियमों के विरूद्ध हैं क्योंकि बोर्ड द्वारा पत्र व्यवहार करने का अधिकार केवल विद्यालयों को ही दिया गया है। बोर्ड कार्यालय द्वारा नियमित विद्यार्थी के संबंध में बेर्ड का अधिकार केवल विद्यालयों को ही दिया गया है। बोर्ड कार्यालय द्वारा नियमित विद्यार्थी के संबंध में केवल विद्यालयों को ही दिया गया है। बोर्ड कार्यालय द्वारा नियमित विद्यार्थी के संबंध में केवल विद्यालयों को ही दिया गया है। बोर्ड कार्यालय द्वारा नियमित विद्यार्थी के संबंध में केवल विद्यालयों के मुखिया या मुखिया द्वारा प्राधिकृत विद्यालय के कर्मचारी से ही पत्र–व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार के मामलों में यदि विद्यालय द्वारा नियमों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थित में संबंधित विद्यालय पर सम्बद्धता नियमों अनुसार जुर्माना लगाया जायेगा।
- 35. किसी भी परीक्षार्थी द्वारा सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत आंशिक अंक सुधार, पूर्ण अंक सुधार, पुनःजाँच, पुनर्मूल्यांकन आदि के कारण परिणाम में संशोधन होता है तो उस स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा पूर्व में जारी किए गए प्रमाण–पत्र को बोर्ड कार्यालय में जमा करवाते हुए नया प्रमाण–पत्र प्राप्त जारी किया जाना है।

SCHEME OF STUDIES 2025-2026 SECONDARY SCHOOL EXAMINATION

Sr.	Name of the subject	Maximum	Maximum	INA	Total
No.	5	Marks in	Marks in		Marks
		theory	practical		
1.	Hindi (First Language)	80		20	100
2.	English (Second Language)	80		20	100
3.	Standard Mathematics	80		20	100
	Basic Mathematics	80		20	100
	(Any one out these two)				
4.	Social Science	80		20	100
5.	Science	60	20	20	100
6.	Any one of the following :	80		20	100
	A) Third Language (any one out of Sanskrit/		A		
	Punjabi/ Urdu)				
	B) Home Science	60	20	<mark>2</mark> 0	100
	C) Agriculture	60	20	20	100
	D) Animal Husbandry	60	20	20	100
	E) Drawing	60	20	20	100
	F) Music	20	60	20	100
	G) Dance	20	60	20	100
	H) Physical and Health Education	60	20	20	100
	I) Computer Science	40	40	20	100
	J) Any one of the following subject :	30	50	20	100
	(i) IT-ITES (NSQF), (ii) Automotive (NSQF),				
	(iii) Private Security (NSQF), (iv) Retail				
	(NSQF), (v) Beauty & Wellness(NSQF), (vi)				
	Physical Education (NSQF), (vii) Agriculture				
	(NSQF), (viii) Tourism and Hospitality (NSQF),				
	(ix) Banking, Financial Services & Insurance				
	(NSQF), (x) Apparel, Made-Ups and Home				
	Furnishing (NSQF) (xi) Healthcare (NSQF)				
	(xii)Power (NSQF) (xiii)Plumbing (NSQF)				
	(xiv) Construction (NSQF) (xv) Media &				
	Entertainment (NSQF)				
	(Only for NSQF Selected School)				
Note	: INTERNAL ASSESSMENT (INA) MARKS	TO BE SEN	T BY SCHOO	DLS FOL	LOWING
	ESSING PARAMETERS AS UNDER:				
	INA Total Marks 20 Mar	rks			
	SAT (Student Assessment Test) 10 Ma	rks			
Atter	ndance 05 marks, PBL (Project Based Learning) (5 mark. (SAT	{04 marks of	SAT, 02 1	narks half
	ly test, 02 marks pre Board test/SAT, 02 marks clas				

SUBJECTS OF INTERNAL ASSESSMENT TO BE SENT BY SCHOOLS

- 7. General Awareness & Life Skills;
- 8. Co-curricular Activities:
 - a) Sports and Games
 - b) Cultural/Literary/Scientific Activities/NCC/Scouts and Guides

Notes:

- 1. Visually impaired students will not be allowed to opt for Drawing as subject of study. They shall also be exempted from Practical Examination except in music. In such cases, the marks in theory papers shall be proportionately increased.
- 2. Visually impaired candidates shall be exempted from Geometry part of Mathematics and the marks in Algebra part shall be proportionately increased.
- 3. Deaf & Dumb, Dyslexic and spastic candidates will be exempted from one of the two compulsory languages.
- नोटः कक्षा नौवीं में वर्तमान शैक्षिक सत्र 2025–26 से त्रि–भाषाई फॉर्मूला लागू होने से संस्कृत, उर्दू व पंजाबी में से किसी एक भाषा का चयन अनिवार्य भाषा के तौर पर करवाया जाना आवश्यक है व शेष अन्य विषयों में किसी एक विषय का वैकल्पिक विषय के तौर पर चयन करवाया जाना है। इस प्रकार वर्तमान शैक्षिक सत्र से कक्षा नौवीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कुल 07 विषयों का अध्ययन हेतु चयन करवाया जाना है।

SCHEME OF STUDIES 2025-2026 SENIOR SECONDARY CERTIFICATE EXAMINATION

A) <u>COMPULSORY SUBJECTS</u>

	COMI CLEORI SCHELCIS					
Sr.	Name of the subject	Maximum	Maximum	INA	Total	
No.		Marks in	Marks in		Marks	
	and the second s	theory	practical			
1.	English (Core/Elective)	80		20	100	
2.	Hindi(Core/Elective)	80		20	100	
	(Only for Humanities group)					
	(English special for foreign Students in lieu of					
	Hindi Core)					
3.	General Awareness & Life Skills (Internal	Grades	Grades	Grades	Grades	
	Assessment grading on five point scale)					
4.	Co-curricular Activities	Grades	Grades	Grades	Grades	
	(a) Sports and Games					
	(b) Cultural / Literacy/					
	Scientific activities/ NCC/Scouts & Guides					
5	Computer Education					
नोटः	नोटः शिक्षा विभाग द्वारा MIS Portal पर जो विषय दर्शाए गए हैं, उसी अनुसार ही विद्यार्थियों					

को विषय का चयन करना आवश्यक है।

B) OPTIONAL SUBJECTS

HUMANITIES GROUP (Any three out of these subjects)

Sr.	Name of the subject	Maximum	Maximum	INA	Total
No		Marks in	Marks in		Marks
		theory	practical		
1.	Sanskrit/Urdu/Punjabi	80		20	100
2.	History	80		20	100
3.	Political Science	80		20	100
4.	Economics	80		20	100
5.	Sociology	80		20	100
6.	Philosophy	80		20	100

				, ,			
7.	Mathematics	80		20	100		
8.	Public Administration	80		20	100		
9.	Geography	60	20	20	100		
10.	Psychology	60	20	20	100		
11.	Physical Education	60	20	20	100		
12.	Agriculture 60 20 20 1						
13.	Home Science 60 20 20 1						
14.	Military Science	60	20	20	100		
15.	Computer Science	40	40	20	100		
16.	Music	30	50	20	100		
17.	Dance	30	50	20	100		
18.	Fine Arts (Painting/Graphics/Sculpture/Applied	30	50	20	100		
	Arts/CommercialArts)						
19.	 Only Any one out of A & B of the following subjects : A. (i) IT-ITES (NSQF), (ii) Automotive (NSQF), (iii) Private Security (NSQF), (iv) Retail (NSQF), (v) Beauty & Wellness(NSQF), (v) Physical Education (NSQF), (vii) Agriculture (NSQF), (viii) Tourism and Hospitality (NSQF), (vii) Banking, Financial Services & Insurance (NSQF), (x) Apparel, Made-Ups and Home Furnishing (NSQF) (xi) Healthcare (NSQF) (xii)Power (NSQF) (xii)Plumbing (NSQF) (xiv) Construction (NSQF) (xv) 	30	50	20	100		
	Media & Entertainment (NSQF) (Only for NSQF Selected School) B. OSS Hindi, OSS English (All over Haryana where OSSH or OSSE already exists.)	60	20	20	100		
	: INTERNAL ASSESSMENT (INA) MARKS	TO BE SEN	T BY SCHO	OOLS FO	LLOWING		
ASSE	SSING PARAMETERS AS UNDER:						
	INA Total Marks 20 Marks						
	SAT (Student Assessment Test) 10 Marks						
Attendance 05 marks, PBL (Project Based Learning) 05 marks.							
नोटः शिक्षा विभाग द्वारा MIS Portal पर जो विषय दर्शाए गए हैं, उसी अनुसार ही विद्यार्थियों							

को विषय का चयन करना आवश्यक है।

	COMMERCE GROUP (Any f	our out of th	ese subjects)		
Sr.	Name of the Subject	Maximum	Maximum	INA	Total
No.		marks in	marks in		Marks
		theory	practical		
1.	Hindi (Core/Elective)/Sanskrit/Urdu/ Punjabi	80		20	100
2.	Business Studies	80		20	100
3.	Economics	80		20	100
4.	Mathematics	80		20	100
5.	Accountancy	60	20	20	100
6.	Entrepreneurship	60	20	20	100
7.	Computer Science	40	40	20	100

COMMERCE GROUP (Any four out of these subjects)

	हरियाणा विद्यालय शि वार्षिक परिपत्र 2				
	Only Any one out of A & B of the following				
8.	subjects :	20	50	20	100
	A. (i) IT-ITES (NSQF), (ii) Automotive (NSQE) (iii) Brivata Sacurity (NSQE) (iv)	30	50	20	100
	(NSQF), (iii) Private Security (NSQF), (iv) Retail (NSQF), (v) Beauty &				
	Wellness(NSQF), (v) Beauty &				
	(NSQF), (vii) Agriculture (NSQF), (viii)				
	Tourism and Hospitality (NSQF), (ix)				
	Banking, Financial Services & Insurance				
	(NSQF), (x) Apparel, Made-Ups and Home				
	Furnishing (NSQF) (xi) Healthcare				
	(NSQF) (xii)Power (NSQF) (xiii)Plumbing				
	(NSQF) (xiv) Construction (NSQF) (xv)				
	Media & Entertainment (NSQF)				
	(Only for NSQF Selected School)				
	B. OSS Hindi, OSS English	60	20	20	100
	(All over Haryana where OSSH or				
	OSSE already exists.)				
Note	: INTERNAL ASSESSMENT (INA) MARKS	TO BE SE	ENT BY SCHO	OOLS FO	LLOWING
	ASSESSING PARAMETERS AS UNDER:				
	INA Total Marks 20 Marks				
	SAT (Student Assessment Test) 10 Marks				
	lance 05 marks, PBL (Project Based Learning) 05 m		¥		
नाट	ः शिक्षा विभाग द्वारा MIS Portal पर जो विषय को विषय का चयन करना आवश्यक है।	य दशाए ग	९ ह, उसा अन्	सार हा	विद्यार्थिया

SCIENCE GROUP (Any four out of these subjects)

Sr. No. Name of the Subject Maximum Maxim No. Marks in Marks in Marks in 1. Hindi (Core/Elective)/Sanskrit/ Urdu/ Punjabi 80	a in cal 20	Total Marks
theory practic	cal 20	
	20	100
1. Hindi (Core/Elective)/Sanskrit/ Urdu/ Punjabi 80		100
	• •	100
2. Mathematics 80	20	100
3. Physics 70 30		100
4. Chemistry 70 30		100
5. Biology 70 30		100
6. Home Science 60 20	20	100
7.Agriculture6020	20	100
8. Geography 60 20	20	100
9. Biotechnology 60 20	20	100
10.Computer Science4040	20	100
11. Any one of the following subjects :		
(i) IT-ITES (NSQF), (ii) Automotive (NSQF), 30 50	20	100
(iii) Private Security (NSQF), (iv) Retail		
(NSQF), (v) Beauty & Wellness(NSQF), (vi)		
Physical Education (NSQF), (vii) Agriculture		
(NSQF), (viii) Tourism and Hospitality (NSQF),		
(ix) Banking, Financial Services & Insurance		
(NSQF), (x) Apparel, Made-Ups and Home		
Furnishing (NSQF) (xi) Healthcare (NSQF)		
(xii)Power (NSQF) (xiii)Plumbing (NSQF) (xiv)		
Construction (NSQF) (xv) Media &		
Entertainment (NSQF)		
(Only for NSQF Selected School)		

Note : I) INTERNAL ASSESSM	ENT (INA) MARKS TO BE SENT BY SCHOOLS FOLLOWING			
ASSESSING PARAMETERS AS UNDER:				
INA Total Marks	20 Marks			
SAT (Student Assessment Test) 10 Marks				
Attendance 05 mar	ks, PBL (Project Based Learning) 05 mark.			
II) Physics, Chemistry & E	Biology subjects practical marks distribution is as under:-			
Distribution of Mar	rks <u>Total Marks=30</u>			
A) Internal Examiner:	15 marks			
i)Student Assessment Test 10 marks				
weightage of marl	ks			
(SAT{04 marks of SAT, 02 marks half yearly test, 02 marks pre Board test, 02 marks				
attendance and	classroom participation})			
ii)Practical file/recor	rd 03 marks			
iii)Project work	02 marks			
B) External Examiner	15 marks			
i)Experiments	09 marks (Two Exp.4 ½ marks each)			
ii)Activity	03 marks (One activity from syllabus)			
iii)Viva-voce	03 marks (Based on exp. & Activity)			

Scheme of Studies exclusively for the students of Centre of Excellence "जिला फरीदाबाद स्थित राज्य स्तरीय सैंटर ऑफ एक्सीलैंस की पाठ्ययोजना में 2015–16 से सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी स्तर पर NSQF के दो विषय सम्मिलित करने उपरान्त केवल इस संस्थान की पाठ्य–योजना निम्न प्रकार से होगी :

At Secondary Level :

As per the existing Scheme of Studies, the following subjects are mainly offered :

- 1. Hindi 2.English 3.Mathematics 4.Social Studies 5.Science 6. IT/ITES (NSQF)
- 7. Any one of the following subjects :

(i) Automotive (NSQF), (ii) Private Security (NSQF), (iii) Retail (NSQF), (iv) Beauty & Wellness(NSQF), (v) Physical Education (NSQF), (vi) Agriculture (NSQF), (vii) Tourism and Hospitality (NSQF), (viii) Banking, Financial Services & Insurance (NSQF), (ix) Apparel, Made-Ups and Home Furnishing (NSQF) (x) Healthcare (NSQF) (xi)Power (NSQF) (xii)Plumbing (NSQF) (xiii) Construction (NSQF) (xiv) Media & Entertainment (NSQF)

(There are 14 internal options in NSQF subjects)

For the students of "Centre of Excellence" where we have to offer two subjects of NSQF compulsorily, the Scheme of Studies recommended for this purpose is as follows :

1. Hindi 2.English 3. IT-ITES 4 Any other subject under NSQF 5. Mathematics 6.Social Science 7.Science.

Thus there will be seven subjects to study and qualify in.

At Sr. Secondary Level :

As per the present Scheme of Studies, the stream-wise subjects, compulsory to qualify in are:

Humanities: 1.English 2.Hindi

Commerce : 1.English

Science : 1.English

In total a student has to qualify in at least five subjects including the compulsory subjects.

Now if two subjects of NSQF are to be offered in all the three streams for the students of Centre of Excellence, the Scheme of Studies for this purpose is as follows:

Humanities: 1.English 2.Hindi 3. IT-ITES 4.Any other subject under NSQF 5.Other elective
 6. Other elective (History, Political Science, Geography, Home Sci., Mathematics, Economics)

Commerc	e: 1.English 2. IT-ITES 3.Any other subject under NSQF 4. Accountancy				
	5. Business Studies 6. Other Elective (Economics/Mathematics)				
Science :	1.English 2. IT-ITES 3.Any other subject under NSQF 4.Physics 5.Chemistry				
	6. Other Elective (Biology/Mathematics)				
Notes :					
i)	In Science/Commerce Groups, English (Core or Elective) is compulsory.				
	In addition, a candidate can opt for one more language at the most.				
ii)	In Humanities Group both English (Core/Elective) and Hindi (Core/Elective) are				
	compulsory. In addition a candidate can opt for one more language at the most.				
iii)	Regular candidates are free to opt for any additional subject/s only within stream.				
	However, it is optional and need not to be taken compulsorily.				
iv)	A visually impaired candidate shall be exempted from practical examination except				
	in Music & dance and in case of such exemption, the marks in theory papers shall be				
	proportionately increased.				
v)	The Board had laid down detailed syllabi for various subjects and prescribed/				
	approved/recommend textbooks of study.				
अन्य महत्वपूर्ण					
<u>1. NSQF के अन्तर्गत</u> विषयों के प्रश्न–पत्र 60 अंकों के होंगे तथा रिजल्ट टेबुलेशन 30					
अंकों के आधार पर होगा। इन विषयों का संचालन NSOF प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चयनित					

- अंकों के आधार पर होगा। इन विषयों का संचालन NSQF प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों में ही होगा अर्थात् अन्य विद्यालयों में नहीं। उल्लेखनीय है कि फरीदाबाद स्थित राज्यस्तरीय उत्कृष्टता केंद्र से अतिरिक्त विद्यालय का कोई भी परीक्षार्थी वर्णित विषयों में से केवल एक विषय को ही ले सकेगा।
- 2. छात्रों को निर्धारित पाठ्य योजना अनुसार ही विषयों का चयन करवाया जाए। यदि किसी विद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्य योजना अनुसार चयन नहीं करवाया गया और बोर्ड कार्यालय द्वारा संबंधित छात्र का परीक्षा अनुक्रमांक जारी नहीं किया जाता है तो इसके लिए संबंधित संस्था ही जिम्मेदार होगी। यदि कोई छात्र अतिरिक्त विषय भी लेता है तो वह भी उसी संकाय का होना चाहिए।

SCHEME	OF S	STUDIES	2025-2026

Sr. No.	Subject Name	Maximum marks in	Maximum marks in	INA	Total
		theory	practical		
1	संस्कृत साहित्य	80		20	100
2	संस्कृत व्याकरण	80		20	100
3	हिन्दी	80		20	100
4	अंग्रे जी	80		20	100
5	गणित	80		20	100
6	विज्ञान	60	20	20	100
7	सामाजिक विज्ञान	80		20	100
	1				1

माध्यमिक परीक्षा सह पूर्व मध्यमा (सैकेण्डरी लेवल)

Sr. No.	Subject Name	Maximum marks in	Maximum marks in	INA	Total
		theory	practical		
1	संस्कृत साहित्य वेद	80		20	100
	सिद्धान्त				
2	संस्कृत व्याकरण	80		20	100
	भाग–1				
3	संस्कृत व्याकरण	80		20	100
	भाग–2				
4	अंग्रे जी	80		20	100

वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा सह उत्तर मध्यमा (सीनियर सैकेण्डरी लेवल)

<u>नोटः—</u> ऊपर वर्णित विषयों के अलावा कला, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय में कोई भी तीन विषय का चयन कर सकता है <mark>एवं इसके साथ कोई भी अतिरिक्त विषय (उसी संक</mark>ाय अनुसार) का चयन कर सकता है।

<u>CRITERIA FOR QUALIFYING</u> (w.e.f. 2016-17)

I. <u>SECONDARY</u>

In order to earn the Certificate of Qualification, a candidate will have to qualify in the following five subjects of external examination:

- i) Hindi (First Language),
- ii) English (Second Language),
- iii) Mathematics,
- iv) Social Science and
- v) Science and Technology.

In order to qualify in a subject, he/she will have to obtain at least 33% marks (marks in external examination + marks in INA + marks in Practicals) provided that he/she obtains at least 33% marks, if any there will be no minimum pass marks for INA aggregate (For the subject in which there is only internal assessment, grades will be shown in the certificate but there will be no minimum grade required for qualifying)

Note :

- 1. If a candidate qualifies in all the 6 subjects, then the best scoring 5 subjects of external examination will be counted for determining aggregate marks/Grade Point Average, i.e. the subject in which one has obtained the least marks will not be counted. In case more than one subject has the same least marks, then the subject not to be counted will be in the following order of priority: Social Science, Science & Technology, Mathematics, Hindi and English.
- 2. In case of best five formula, marks of the five subjects in which candidate has scored maximum will be considered not the grades.
- 3. Further, if a candidate does not qualify in Hindi, but qualifies in Sanskrit as sixth subject, then Sanskrit can replace Hindi for earning the certificate of Qualification.
- 4. In case a student doesn't qualify any one of the compulsory subjects excluding compulsory language i.e. Hindi and English and passes the any skill subject of the scheme of study as optional (6th subject) then the deficient (not passed) compulsory subject will be replaced by the passed skill subject as to the requirement of the pass formula.
- 5. Provided that the above said replacement will only be applicable when the examinee gets passed.

GRACE

Upto 1% grace (per subject appeared) will be given for qualifying (i.e. for getting 33% marks) in as many subjects as possible, and not for improving grade. (Other provisions that exist in the Regulations regarding Grace will remain in force as such)

II. <u>SENIOR SECONDARY</u> :

In order to earn the Certificate of Qualification, a candidate will have to qualify in all five subjects of external examination separately.

In order to qualify in a subject, he/she will have to obtain at least 33% marks in the aggregate of external examination, INA & Practicals provided that he/she obtains at least 33% marks separately in the external examination obtains at least 33% marks separately in practicals, if any, there will be no minimum pass marks for INA (For subjects in which there is only internal assessment, grades will be shown in the certificate but there will be no minimum grade required for qualifying)

Note :

- 1. In case one qualifies in all 6 subjects (including additional subject), then the marks obtained in the best scoring 4/5 subjects (excluding the compulsory subjects, i.e. Hindi and/or English depending on the stream) will be counted for determining GPA/Aggregate marks, i.e. the main optional subject in which one has obtained the least marks will be replaced by the Additional subject.
- 2. If a candidate does not qualify either in theory paper or practical paper, he will have to take exam of concerned only i.e. if he has failed in theory paper his practical marks attained previously will be considered as such and vice-versa.
- 3. In case of best five formula marks not grades will be considered only of the five subjects in which candidate has attained maximum marks.

GRACE

Upto 1% grace (per subject appeared) will be given for qualifying (i.e. for getting 33% marks) in as many subjects as possible, and not for improving grade. (Other provisions that exist in the Regulations regarding Grace will remain in force as such)

(पास फार्मूला)

 <u>माध्यमिक परीक्षा सह पूर्व मध्यमा (सैकेण्डरी) :-</u> योग्यता प्रमाण पत्र अर्जित करने के लिए विद्यार्थी को परीक्षा में सभी विषय (हिन्दी को छोड़कर) में पास अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा प्रमाण पत्र में विषय क्रम इस प्रकार होगा :-

विषय क्र0 सं0	विषय
01	अंग्रे जी
02	गणित
03	सामाजिक विज्ञान
04	विज्ञान
05	संस्कृत साहित्य
06	संस्कृत व्याकरण
07	हिन्दी

2. <u>वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा सह उतर मध्यमा (सीनियर सैकेण्डरी) :-</u>योग्यता प्रमाण पत्र अर्जित करने के लिए विद्यार्थी को परीक्षा में सभी सात विषयों में पास अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं प्रमाण पत्र में विषय क्रम इस प्रकार होगा :-

विषय क्र0 सं0	विषय		
01 (अनिवार्य)	अंग्रेजी BSEH पद्धति अनुसार		
02,03,04	हिन्दी, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान,		
कला संकाय	शारीरिक शिक्षा, गंणित, अर्थशास्त्र इत्यादि		
वैकल्पिक विषय	BSEH कला संकाय पद्धति 11वीं कक्षा अनुसार		
(कोई भी तीन)			
02,03,04	<mark>अर्थशास्त्र, व्यावासयिक अध्ययन, लेखा श</mark> ास्त्र, गणित इत्यादि		
वाणिज्य सकाय विषय	BSEH वाणिज्य संकाय पद्धति 11वीं कक्षा अनुसार		
(कोई भ <mark>ी तीन)</mark>			
02,03,04	गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान इत्यादि		
विज्ञान संकाय विषय	BSEH विज्ञान संकाय पद्धति 11वीं कक्षा अनुसार		
(कोई भी तीन)			
संस्कृत विषय	संस्कृत साहित्य वेद सिद्वान्त		
05 (अनिवार्य)	MDU पद्धति उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष अनुसार		
and the second s	अथर्ववेदः / ज्यौतिषम् / दर्शनम् / जैनदर्शनम् अदि		
	KUK के अनुसार		
<u>06 (अनिवार्य)</u>	संस्कृत व्याकरण भाग-1		
	MDU पद्धति उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष अनुसार अथवा KUK के		
	अनुसार		
07 (अनिवार्य) संस्कृत व्याकरण भाग-2			
	MDU पद्धति उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष अनुसार अथवा KUK के		
	अनुसार		

<u>नोटः</u> कला, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय में से कोई भी तीन विषय का चयन कर सकता है एवं इसके साथ कोई भी अतिरिक्त विषय (उसी संकाय अनुसार) का चयन कर सकता है।

शैक्षिक सत्र 2025–2026 के लिए कक्षा नौवीं से बारहवीं तक लागू पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकों की सूची :

	कक्षा नौवीं				
क्रम	विषय का नाम	पुस्तक का नाम			
संख्या					
1.	हिन्दी	1. क्षितिज भाग–1 (ह.वि.शि.बो.)			
		2. कृतिका भाग–1 (हिंदी पूरक) (ह.वि.शि.बो.)			
2.	English	3. Beehive (English Textbook) (ह.वि.शि.बो.)			
		4. Moments English (Suppl. Reader) (ह.वि.शि.बो.)			
3.	गणित	5. गणित (ह.वि.शि.बो.)			
4.	सामाजिक विज्ञान	6. हमारा भारत–IV (इतिहास) (ह.वि.शि.बो.)			
		7. समकालीन भारत–1 (भूगोल) (ह.वि.शि.बो.)			
		 8. अर्थशस्त्र और राजनीति विज्ञान (ह.वि.शि.बो.) 			
5.	विज्ञान	9. विज्ञान (ह.वि.शि.बो.)			

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
6.	चर्दू	10. जान पहचान भाग-4 (द्वितीय भाषा) (NCERT)	
7.	पशु पालन	11. पशु विज्ञान भाग–1 (ह.वि.शि.बो.)	
		12. पशु विज्ञान प्रायोगिक पुस्तिका भाग-2 (ह.वि.शि.बो.)	
8.	पंजाबी	13. साहित्यक किरणा भाग–1 (सी.बी.एस.ई.)	
		14. साहित्य रंग भाग–1 (सी.बी.एस.ई.)	
9.	संस्कृत	15. शेमुषी भाग–1 (ह.वि.शि.बो.)	
10.	IT-ITES (NSQF)	16. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
11.	Automotive (NSQF)	17. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
12.	Private Security (NSQF)	<u>18. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)</u>	
13.	Retail (NSQF)	<u>19. Student Handbook Level-I (विद्यालय</u> शिक्षा विभाग)	
14.	Beauty & Wellness (NSQF)	20. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
15.	Physical Education(NSQF)	21. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
16.	Healthcare (NSQF)	22. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
17.	Agriculture (NSQF)	23. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
18.	Tourism and Hospitality	24. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
	(NSQF)		
19.	Banking, Financial Services	25. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
	& Insurance (NSQF)		
20 .	Apparel, Made-Ups and	26. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
	Home Furnishing (NSQF)		
21.	Power (NSQF)	27. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
22 <mark>.</mark>	Plumbing (NSQF)	28. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
23 .	Construction (NSQF)	29. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
24.	Media & Entertainment	30. Student Handbook Level-I (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
	(NSQF)		
25.	नैतिक शिक्षा	31. आदर्श जीवन मूल्य (मध्यमा) (माध्यमिक शिक्षा विभाग)	

<u>नोट</u> : उपर्युक्त के अतिरिक्त गृह विज्ञान, कृषि, ड्राइंग, संगीत, नृत्य, शारीरिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम को कवर करती हुई पुस्तक अपनाने बारे संस्था के मुखिया अपने स्तर पर कार्यवाही करेंगे। बोर्ड द्वारा कोई भी पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है।

<u>शैक्षिक सत्र 2025–2026 के लिए पूर्व मध्यमा भाग–1 (9वीं) के लिए लागू पाठ्यक्रम पर</u> आधारित पस्तकों की सची :

आधारत पुस्तका का सूचा -				
कक्षा	विषय का	पुस्तक का नाम	प्रकाशन	
	नाम			
पूर्व मध्यमा	संस्कृत	1) अष्टाध्यायीभाष्य (प्रथमावृत्ति)	पाणिनि महाविद्यालय,रेवली	
भाग–1 (9 th)	व्याकरण	2) अष्टाध्यायी	गुरुकुल झज्जर	
आर्ष पद्धति		3) वर्णोच्चारणशिक्षा	गुरुकुल झज्जर	
गुरूकुल	संस्कृत	1) पंचतंत्र	गुरुकुल झज्जर	
	साहित्य	2) नीतिशतकम्	गुरुकुल झज्जर	
		3) यजुर्वेद	गुरुकुल झज्जर	
		4) सत्यार्थप्रकाश	आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट	
			दिल्ली	

पूर्व मध्यमा भाग–1 (9 th)	संस्कृत व्याकरण	1) सार सिद्धान्त कौमुदी प्रथम भाग	चौखम्भा ओरियन्टालिया
माग—। (७) परम्परागत	संस्कृत	1) हितोपदेश मित्रलाभः	चौखम्भा ओरियन्टालिया
संस्कृत विद्यापीठ	साहित्य		

	कक्षा दसवीं			
क्रम	विषय का नाम	पुस्तक का नाम		
संख्या				
1.	हिन्दी	 1. क्षितिज भाग−2 (ह.वि.शि.बो.) 		
		 2. कृतिका भाग–2 (हिंदी पूरक) (ह.वि.शि.बो.) 		
2.	English	3. First Flight (English Textbook) (ह.वि.शि.बो.)		
		4. Footprints without feet (Suppl. Reader) (ह.वि.शि.बो.)		
3.	गणित	5. गणित (ह.वि.शि.बो.)		
4.	सामाजिक विज्ञान	6. भारत एवं विश्व <mark>(इतिहास) (ह.वि.शि.बो.)</mark>		
		7. समकालीन भारत-2 (भूगोल) (ह.वि.शि.बो.)		
		8. आर्थिक विकास की समझ (ह.वि.शि.बो.)		
		9. लोकतांत्रिक राजनीति–2 (ह <mark>.वि.शि.बो.)</mark>		
5 <mark>.</mark>	विज्ञान	10. विज्ञान (ह.वि.शि.बो.)		
<mark>6</mark> .	उर्दू	11. जान पहचान भाग–5 (द्वितीय <mark>भाषा) (NCERT)</mark>		
7 .	पशु पालन	12. पशु विज्ञान भाग-2 (ह.वि.शि.बो.)		
		13. पशु विज्ञान प्रायोगिक पुस्तिका भाग-2 (ह.वि.शि.बो.)		
<mark>8</mark> .	पंजाबी	14. साहित्यक किरणा भाग-2 (सी.बी.एस.ई.)		
		15. साहित्य रंग भाग-2 (सी.बी.एस. ई .)		
9.	संस्कृत	<u>16. शेमुषी भाग−2 (ह.वि.शि.बो.)</u>		
10.	IT-ITES (NSQF)	17. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
11.	Automotive (NSQF)	18. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
12.	Private Security (NSQF)	19. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
13.	Retail (NSQF)	20. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
14.	Beauty & Wellness (NSQF)	21. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
15.	Physical Education(NSQF)	22. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
16.	HealthCare (NSQF)	23. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
17.	Agriculture (NSQF)	24. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
18.	Tourism and Hospitality	25. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
	(NSQF)			
19.	Banking, Financial Services	26. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
	& Insurance (NSQF)	27. Stadaut Haudhards Land 2 (Pran - 19 Prov -		
20.	Power (NSQF)	27. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
21.	Plumbing (NSQF)	28. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
22.	Construction (NSQF)	29. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
23.	Apparel, Made-Ups and	30. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
24	Home Furnishing (NSQF)	31. Student Handbook Level-2 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
24.	Media & Entertainment	51. Suueni manudook Level-2 (विद्यालय रिक्ता विमीग)		
DE	(NSQF) नैतिक शिक्षा	32. आदर्श जीवन मूल्य (मध्यमा) (माध्यमिक शिक्षा विभाग)		
25.	गाराक रिद्या	उट. आपरा जावन मूल्य (मध्यमा) (माध्यामक शिक्षा विमीग)		

<u>नोट</u>ः

- 1. उपर्युक्त के अतिरिक्त गृह विज्ञान, कृषि, ड्राइंग, संगीत, नृत्य, शारीरिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रम को कवर करती हुई पुस्तक अपनाने बारे संस्था के मुखिया अपने स्तर पर कार्यवाही करेंगे। बोर्ड द्वारा कोई भी पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है।
- 2. शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए सैकेण्डरी तक की विज्ञान प्रायोगिक पुस्तिका (जो पाठ्यक्रम को पूरा करती हो) संस्था के मुखिया अपने स्तर पर लगवा सकते हैं।

शैक्षिक सत्र 2025–2026 के लिए पूर्व मध्यमा सह माध्यमिक परीक्षा (10वीं) के लिए लागू पाठयक्रम पर आधारित पस्तकों की सची :

<u>पार्यक्रम पर आध</u>	पार्यक्रम पर आधारत पुस्तको को सूचा				
कक्षा	विषय का नाम	पुस्तक का नाम	<mark>प्रक</mark> ाशन		
पूर्व मध्यमा	संस्कृत	1) अष्टाध्यायीभाष्य	पाणिनि महाविद्यालय,रेवली		
भाग–2 (10 th)	व्याकरण	(प्रथमावृत्ति)	गुरुकुल झज्जर		
आर्ष पद्धति	100	2) अष्टाध्यायी			
गुरूकुल					
5 5	संस्कृत साहित्य	1) पंचतंत्र	गुरुकुल झज्जर		
		2) वैदिक गीता	गुरुकुल झज्जर		
		3) साहित्यसुध <mark>ा भाग–</mark> 2	गुरुकुल गौतमनगर दिल्ली-49		
		4) यजुर्वेद	गुरुकुल झज्जर		
		5) सत्यार्थ <mark>प्रकाश</mark>	आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली		
पूर्व मध्यमा	संस्कृत	1) सार सिद्धान्त कौमुदी	चौखम्भा ओरियन्टालिया		
भाग <mark>–2 (10th)</mark>	व्याकरण	द्वितीय भाग			
परम्परागत	संस्कृत साहित्य	1) हितोपदेश मित्रलाभः	चौखम्भा ओरियन्टालिया		
संस्कृत विद्यापीठ					
भाग <mark>–2 (10th)</mark> परम्परागत	व्याकरण	द्वितीय भाग			

	कक्षा ग्यारहवीं				
क्रम संख्या	विषय का नाम	पुस्तक का नाम			
1.	हिन्दी (कोर)	 आरोह भाग−1 (ह.वि.शि.बो.) वितान भाग−1 (पूरक पुस्तक) (ह.वि.शि.बो.) अभिव्यक्ति और माध्यम (कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए हिंदी कोर एवं हिंदी ऐच्छिक के लिए) (ह.वि.शि.बो.) 			
2.	हिन्दी (ऐच्छिक)	4. अंतरा भाग-1 (NCERT) 5. अंतराल भाग-1 (पूरक पुस्तक) (NCERT)			
3.	English (Core)	6. Hornbill (ह.वि.शि.बो.) 7. Snapshot (Suppl. Reader) (ह.वि.शि.बो.)			
4.	English (Elective)	8. Woven Words (NCERT)			
5.	गणित	9. Mathematics (ह.वि.शि.बो.)			
6.	जीव विज्ञान	10. Biology (ह.वि.शि.बो.)			
7.	भौतिकी	11. Physics-I (ह.वि.शि.बो.) 12. Physics-II (ह.वि.शि.बो.)			
8.	रसायन	13. Chemistry-I (ह.वि.शि.बो.) 14. Chemistry-II (ह.वि.शि.बो.)			
9.	इतिहास	15. विश्व इतिहास के कुछ विषय (ह.वि.शि.बो.)			

10.	भूगोल	16.भौतिक भूगोल के मूल सिद्धान्त (ह.वि.शि.बो.)		
	K	17. भारत–भौतिक पर्यावरण (ह.वि.शि.बो.)		
		18. भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग–1 (ह.वि.शि.बो.)		
11.	अर्थशास्त्र	19. भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास (ह.वि.शि.बो.)		
		20. अर्थशास्त्र में सांख्यिकी (ह.वि.शि.बो.)		
12.	राजनीति विज्ञान	21. भारत का संविधान सिद्धान्त और व्यवहार (ह.वि.शि.बो.)		
		22. राजनीतिक सिद्धान्त (ह.वि.शि.बो.)		
13.	समाज शास्त्र	23. समाजशास्त्र एक परिचय (ह.वि.शि.बो.)		
		24. समाज का बोध (ह.वि.शि.बो.)		
14.	व्यवसाय अध्ययन	25. व्यवसाय अध्ययन (ह.वि.शि.बो.)		
15.	लेखाशास्त्र 🛛 👘	26. वित्तीय लेखांकन भाग−1 (ह.वि.शि.बो.)		
		<mark>27. वित्तीय लेखांकन भाग–2 (ह.वि</mark> .शि.बो.)		
16.	संस्कृत	28. शाश्वती प्रथमो भाग (ह.वि.शि.बो.)		
17.	पंजाबी	29. कव कमाई (नानक सिंह पुस्तक माला अमृतसर)		
		30. कथा कहानी (पंजाबी अकादमी, दिल्ली)		
18.	जैव प्रोद्यौगिकी	31. ए-टैक्स्ट बुक ऑफ बायोटैक्नोलॉजी (सी.बी.एस.ई.)		
		32. ए-लेबोरेटरी मैन्युअल बायोटैक्नोलॉजी (सी.बी.एस.ई.)		
19.	उद्यमशीलता	33. उद्यमशीलता (सी.बी.एस.ई.)		
20.	मनोविज्ञान	34. मनोविज्ञान का परिचय (NCERT)		
21.	चर्दू	35. गुलिस्तां-ए-अदब (NCERT)		
		<u>36. खयाबा–ए–उर्दू (NCERT)</u>		
22.	कम्प्यूटर साइंस	37. कम्प्यूटर साइंस (NCERT)		
23 .	IT-ITES (NSQF)	38. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
24.	Automotive (NSQF)	39. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
25.	Private Security (NSQF)	40. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
26.	Retail (NSQF)	41. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
27.	Beauty & Wellness (NSQF)	42. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
28.	Physical Education(NSQF)	43. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
29.	HealthCare (NSQF)	44. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
30.	Agriculture (NSQF)	45. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
31.	Tourism and Hospitality (NSQF)	46. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
32.	Media & Entertainment	47. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
33.	Banking, Financial Services	47. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग) 48. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
00.	& Insurance (NSQF)			
34.	Apparel, Made-Ups and	49. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
	Home Furnishing (NSQF)			
35.	Power (NSQF)	50. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
36.	Plumbing (NSQF)	51. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
37.	Construction (NSQF)	52. Student Handbook Level-3 (विद्यालय शिक्षा विभाग)		
38.	नैतिक शिक्षा	53. आदर्श जीवन मूल्य (उत्तरा) (माध्यमिक शिक्षा विभाग)		

<u>नोट</u>ः

<u>-</u> -1. गृह विज्ञान, फाइन आट्र्स, कृषि, दर्शनशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, नृत्य, संगीत विषयों हेतु सी.बी.एस.ई. द्वारा निर्धारित नए पाठ्यक्रम पर आधारित कोई भी उपयुक्त पुस्तक संस्था के मुखिया द्वारा लगवाई जा सकती है।

2. सैन्य विज्ञान/लोकप्रशासन विषयों हेतु इस बोर्ड द्वारा पूर्व निर्धारित गत शैक्षिक सत्र में प्रचलित पाठ्यक्रम पर आधारित कोई भी उपयुक्त पुस्तक संस्था के मुखिया द्वारा लगवाई जा सकती है।

शैक्षिक सत्र 2025—2026 के लिए उत्तर मध्यमा भाग—1 (11वीं), के लिए लागू पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकों की सूची :

<u>^</u>		
विषय का नाम	पुस्तक का नाम	प्रकाशन
संस्क <mark>ृत</mark>	<i>,</i>	
व्याकरण	2) सन्धिविषय	वैदिक पुस्तकालय, अजमेर
भाग–1	3) अष्टाध्यायी	गुरुकुल झज्जर
संस्कृत	1) आख्यातिकः	वैदिक पुस्तकालय, अजमेर
व्याकरण	2) धातुपाठः	<u>गुरुकुल झ</u> ज्जर
भाग–2		
संस्कृत साहित्य	1) पंचतंत्र	गुरुकुल झज्जर
वेद	2) दयानंदलहरी	गुरुकुल झज्जर
	3) यजुर्वेद	गुरुकुल झज्जर
	 सत्यार्थप्रकाश 	आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट
		दि <mark>ल्ली</mark>
संस्कृत	1) लघु सिद्धान्त कौमुदी	चौखम्मा ओरियन्टालिया
व्याकरण		
भाग–1		
संस्कृत	1) अनुवाद चन्द्रिका	मोतीलाल बनारसीदास
•		विश्वविद्यालय प्रकाशन,
भाग–2	, 3	वाराणसी
	1) शिवराजविजयः प्रथम	चौखम्भा ओरियन्टालिया
वेद	विरामः	गीताप्रेस, गोरखपुर
	2) श्रीमद्भगवद् गीता	3
	संस्कृत व्याकरण माग -1 संस्कृत व्याकरण माग -2 संस्कृत साहित्य वेद संस्कृत व्याकरण माग -1 संस्कृत व्याकरण माग -2 संस्कृत साहित्य	 संस्कृत 1)पाणिनीय-अष्टाध्यायीप्रवचनम् 2) सन्धिविषय 3) अष्टाध्यायी संस्कृत 1) आख्यातिकः 2) धातुपाठः माग-2 संस्कृत साहित्य वेद 1) पंचतंत्र 2) दयानंदलहरी 3) यजुर्वे द 4) सत्यार्थप्रकाश संस्कृत 1) लघु सिद्धान्त कौमुदी याकरण माग-1 याकरण माग-1 अन्तुवाद चन्द्रिका 2) रचनानुवाद माग-2 संस्कृत साहित्य 1) शिवराजविजयः प्रथम वेद 1) शिवराजविजयः प्रथम

	कक्षा बारहवीं				
क्रम	विषय का नाम	पुस्तक का नाम			
संख्या					
1.	हिन्दी (कोर)	 आरोह भाग–2 (ह.वि.शि.बो.) 			
		2. वितान भाग-2 (पूरक पुस्तक) (ह.वि.शि.बो.)			
2.	हिन्दी (ऐच्छिक)	3. अंतरा भाग-2 (NCERT)			
		4. अंतराल भाग-2 (पूरक पुस्तक) (NCERT)			
		5. अभिव्यक्ति और माध्यम (कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए			
		हिंदी कोर एवं हिंदी ऐच्छिक के लिए) (ह.वि.शि.बो.)			
3.	English (Core)	6. Flamingo (ह.वि.शि.बो.)			
		7. Vistas (Suppl.) (ह.वि.शि.बो.)			
4.	English (Elective)	8. Kaleidoscope (NCERT)			
5.	संस्कृत	9. शाश्वती द्वितीयो भाग (ह.वि.शि.बो.)			
6.	भौतिकी	10. Physics-I (ह.वि.शि.बो.)			
		11. Physics-II (ह.वि.शि.बो.)			

	I		
7.	रसायन	12. Chemistry-I (ह.वि.शि.बो.)	
		13. Chemistry-II (ह.वि.शि.बो.)	
8.	जीव विज्ञान	14. Biology (ह.वि.शि.बो.)	
9.	गणित	15. Mathematics-I (ह.वि.शि.बो.)	
		16. Mathematics-II (ह.वि.शि.बो.)	
10.	इतिहास	17. भारतीय इतिहास के कुछ विषय इतिहास-1 (ह.वि.शि.बो.)	
		18. भारतीय इतिहास के कुछ विषय इतिहास-2 (ह.वि.शि.बो.)	
		19. भारतीय इतिहास के कुछ विषय इतिहास–3 (ह.वि.शि.बो.)	
11.	भूगोल	20. मानव भूगोल के मूल सिद्धान्त (ह.वि.शि.बो.)	
		21. भारत-लोग और अर्थव्यवस्था (ह.वि.शि.बो.)	
		22. भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग-2 (ह.वि.शि.बो.)	
12.	अर्थशास्त्र 🗖	23. व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय (ह.वि.शि.बो.)	
		24. समाष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय (ह.वि.शि.बो.)	
13.	राजनीति विज्ञान	25. समकालीन विश्व राजनीति (ह.वि.शि.बो.)	
		26. स्वतन्त्र भारत में राजनीति (ह.वि.शि.बो.)	
14.	समाज शास्त्र	27. भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास (ह.वि.शि.बो.)	
		28. भारतीय समाज (ह.वि.शि.बो.)	
15.	व्यवसाय अध्ययन	29. व्यवसाय अध्ययन भाग -1 (ह.वि.शि.बो.)	
		30. व्यवसाय अध्ययन भाग -2 (ह.वि.शि.बो.)	
1 <mark>6</mark> .	लेखाशास्त्र	31. अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते (ह.वि.शि.बो.)	
17.	पंजाबी	32. कम्पनी खाते एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण (ह.वि.शि.बो.) 33. काव्य कीर्ति (गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय अमृतसर)	
17.	40141	33. पाय्य फीर्पि (गुरु नानकदेव विश्वविद्यालय अनृतंत्र) 34. एहुनिका गद्य रत्नाकर (पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला)	
		34. रहुनियम नय रस्तायर (पंजाबी विरयविद्यालय, पहिवाला) 35. शाभा शक्ति (आर.सी. पब्लिशिंग, प्लीजर गार्डन, चांदनी	
		चौक, दिल्ली)	
18.	जैव प्रोद्यौगिकी	36. ए <mark>-</mark> टैक्स्ट बुक ऑफ बायोटैक्नोलॉजी (सी.बी.एस.ई.)	
		37. ए-लेबोरेटरी मैन्युअल बायोटैक्नोलॉजी (सी.बी.एस.ई.)	
19.	उद्यमशीलता	38. उद्यमशीलता (सी.बी.एस.ई.)	
20.	मनोविज्ञान	39. मनोविज्ञान (NCERT)	
21.	उर्दू	40. गुलिस्तां-ए-अदब (NCERT)	
	and the second second	41. खयाबां-ए-उर्दू (NCERT)	
22.	कम्प्यूटर साइंस	42. Computer Science (NCERT)	
23.	IT-ITES (NSQF)	43. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
24.	Automotive (NSQF)	44. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
25.	Private Security (NSQF)	45. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
26.	Retail (NSQF)	46. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
27.	Beauty & Wellness	47. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
	(NSQF)		
28.	Physical	48. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
	Education(NSQF)		
29.	HealthCare (NSQF)	49. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
30.	Agriculture (NSQF)	50. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
31.	Tourism and Hospitality	51. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
32.	(NSQF) Media & Entertainment	52. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
33.	Banking, Financial	53. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)	
JJ .	Danking, Financial	של אין	

	Services & Insurance (NSQF)	
34.	Apparel, Made-Ups and	54. Student Handbook Level-4 (विद्यालय शिक्षा विभाग)
	Home Furnishing (NSQF)	
35.	नैतिक शिक्षा	55. आदर्श जीवन मूल्य (उत्तरा) (माध्यमिक शिक्षा विभाग)

<u>नोट</u>ः

- गृह विज्ञान, फाइन आट्र्स, कृषि, दर्शनशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, नृत्य, संगीत विषयों हेतु सी.बी.एस.ई. द्वारा निर्धारित नए पाठ्यक्रम पर आधारित कोई भी उपयुक्त पुस्तक संस्था के मुखिया द्वारा लगवाई जा सकती है।
- 2. सैन्य विज्ञान/लोकप्रशासन विषयों हेतु इस बोर्ड द्वारा पूर्व निर्धारित गत शैक्षिक सत्र में प्रचलित पाठ्यक्रम पर आधारित कोई भी उपयुक्त पुस्तक संस्था के मुखिया द्वारा लगवाई जा सकती है।

शैक्षिक सत्र 2025–2026 के लिए उतर मध्यमा सह वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा (12वीं), के लिए लागू पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकों की सूची :

विषय का नाम		प्रकाशन		
संस्कृत	-	वैदिक पुस्तकालय, अजमेर		
व्याकरण	2) धातुपाठः	गुरुकु <mark>ल झज्जर</mark>		
<u>भाग</u> –1				
संस्कृ त		वैदिक पु <mark>स्तकालय, अजमेर</mark>		
व्याकरण	2) नामि <mark>कः</mark>	वैदिक पुस्तकालय, अजमेर		
भाग–2				
संस्कृत साहित्य	 कादम्बरी(शुकनासोपदेश) 	विद्या निधि प्रकाशन नई दिल्ली		
वेद	2) वैदिक गीता	गुरुकुल झज्जर		
	3) यजुर्वेदः	गुरुकुल झज्जर		
		आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट दिल्ली		
संस्कृत	1) लघु सिद्धान्त कौमुदी	चौखम्भा ओरियन्टालिया		
व्याकरण				
भाग–1	and the second second			
संस्कृत	1) अनुवाद चन्द्रिका	मोतीलाल बनारसीदास		
व्याकरण	2) रचनानुवाद	विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी		
भाग–2				
संस्कृत साहित्य	1) शिवराजविजयः प्रथम	चौखम्भा ओरियन्टालिया		
वेद	विरामः			
	2) श्रीमद्भगवद् गीता	गीताप्रेस, गोरखपुर		
	विषय का नाम संस्कृत व्याकरण भाग–1 संस्कृत व्याकरण भाग–2 संस्कृत साहित्य वेद संस्कृत ता साहित्य वेद संस्कृत ता साहित्य संस्कृत ता साहित्य संस्कृत वाकरण माग–1 संस्कृत व्याकरण माग–2 संस्कृत साहित्य माग–2 संस्कृत साहित्य	विषय का नाम पुस्तक का नाम संस्कृत 1) आख्यातिकः व्याकरण 2) धातुपाठः भाग–1		

आवश्यक सूचना

बोर्ड कार्यालय द्वारा परीक्षा संबंधी व अन्य सभी प्रकार के भुगतान शिक्षकों के बैंक खातों में सीघे ही करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए सभी शिक्षक अपनी पारिश्रमिक राशि प्राप्त करने के लिए बिल के साथ बैंक का नाम, खाता संख्या तथा आई0एफ0एस0सी0 कोड (IFSC) अवश्य लिखें। DSSSB, KVS, CTET, EMRS, NVS, BPSC, RPSC, UPTET, AEES, AWES, CHANDIGRAH, ALL STATE TETS EXAM & Other Departments Related NTT PRT TGT & PGT सभी Teaching Jobs और Others Non-Teaching Govt. Jobs की Updates & FREE NOTES प्राप्त कर सकते हैं. Follow us on social media -

FOR ALL TEACHING EXAM UPDATES & PDF - https://t.me/Teachingexam

FOR KVS NVS EMRS UPDATE & FREE NOTES - https://t.me/forKVSexam

CTET & All STATE TET EXAM- https://t.me/CTETEXAM2024PREPARATION

JOIN WHATSAPP CHANNEL FOR EVERY UPDATE LINK https://whatsapp.com/channel/0029Va8gvx7Fy72BDgJYIf 1V

CLICK HERE TO JOIN FOR FREE NOTES & PDF -



DSSSB PREVIOUS YEAR PAPER - CLICK HERE

0

DSSSB, KVS, CTET, EMRS, NVS, BPSC, RPSC, UPTET, AEES, AWES, CHANDIGRAH, ALL STATE TETS EXAM & Other Departments Related NTT PRT TGT & PGT सभी Teaching Jobs और Others Non-Teaching Govt. Jobs की Updates प्राप्त कर सकते हैं. JOIN for FREE NOTES & PDF.

